# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 25 ] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 जून 2014-ज्येष्ठ 30, शके 1936


## भाग 3 ( 1 )

## विज्ञापन

### न्यायालयों की सूचनाएं

**STATE BAR COUNCIL OF MADHYA PRADESH**

**HIGH COURT CAMPUS, JABALPUR - 482001**

Ref. No. SBC/MP/Supdt./Notification/46/2014. Dated 3rd June, 2014

**NOTIFICATION**

Corrigendum

In continuation to State Bar Council of Madhya Pradesh Notification SBCMP/Supd/RTI/ /14, Dated 29th May, 2014 it is further notified for general information that in the above. Notification due to typographical error at S. No. 12 Name of Shri ANKUR MODI Advocate, has been typed as "ANKUR MODI S Advocate". Therefore following correction shall take place at serial No. 12 of aforesaid notification and be read as under:—

| Sr. | Name | Address with Place |
|---|---|---|
| 12. | ANKUR MODI Advocate | Modi & Modi Advocates, Parakh Ji Ka Bada, Daulatganj, Lashkar, GWALIOR. |

Yours Sincerely,
**MUKESH MISHRA,**
OFFICIATING SECRETARY.

(131-B.)

## अन्य सूचनाएं

**CHANGE OF NAME**

I,Mohd. Naeem Ullah Resident of Hotel Imperial Sabre, V.I.P. Road, Kohe-e-fiza, Bhopal State that in the documents of my daughters (1) Miss Sarah Naeem bearing roll No. 1148346 (10th Std. 2010) and Roll No. 1652404 (12th Std. 2012) and (2) Miss Farah Naeem bearing Roll No. 1162947 (10th Std. session 2010-2012) of St. Joseph's Convent Senior Secondary School, Idgaha Hills, Bhopal. My name is mentioned as Naeem Khan by mistake. It may please be corrected to Mohd. Naeem Ullah Khan. In future they shall be known as daughters of Mohd. Naeem Ullah Khan.

Old Name : **(NAEEM KHAN)**

New Name : **(MOHD. NAEEM ULLAH KHAN )**

(129-B.)

## जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, मेरे पक्षकार राजेश कुमार धाकड़ के अल्पवयस्क पुत्र का नाम पूर्व में प्रद्युम्मन धाकड़ पिता राजेश कुमार धाकड़ था. जिसे बदलकर अब नया नाम प्रज्जवल धाकड़ पिता राजेश कुमार धाकड़ रख लिया. अब इन्हें नये नाम प्रज्जवल धाकड़ से जाना-पहचाना और पुकारा जाये. जो सूचित हो.

**कैलाश शर्मा,**
हाईकोर्ट एडवोकेट,
1, वकील कालोनी, रतलाम (म. प्र.).

(130-बी.)

---

## नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, मेरा नाम गायत्री देवी सोनी है तथा मैं इसी नाम से जानी एवं पहचानी जाती हूँ तथा मुझे नानुदेवी सोनी जो कि मेरे घर का नाम है, इस नाम से भी जानी एवं पहचानी जाती हूँ.

मैं, शपथपूर्वक घोषित करती हूं कि श्रीमती गायत्री देवी सोनी एवं श्रीमती नानुदेवी सोनी जो कि मेरे घर का नाम है, उक्त दोनों नाम मेरे ही हैं तथा दोनों नामों से जानी एवं पहचानी जाती हूँ. सो विदित होवें.

**( नानु देवी सोनी )**
**( गायत्री देवी सोनी )**
पत्नी स्व. श्री नारायण प्रसाद सोनी,
70, गुमास्ता नगर, इन्दौर (म. प्र.).

(132-बी.)

---

## नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, पिंकू डे पिता दयाल चन्द डे, निवासी ग्राम पंचायत बनगवां (राजनगर) जिला अनूपपुर मध्यप्रदेश का निवासी हूँ एवं मेरे समस्त सर्टिफिकेट में मेरा नाम पिंकू डे है, किन्तु मैं, अब अपना नाम बदलकर अमितेश डे कर लिया हूं. अतः आज दिनांक से मुझे अमितेश डे पिता दयाल चन्द डे के नाम से जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम :
**( पिंकू डे )**

नया नाम :
**( अमितेश डे )**

(133-बी.)

---

## नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, मेरे पुत्र विनोद रावत की 10वीं की अंकसूची में मेरा नाम नीलम रावत (NEELAM RAWAT) लिखा हुआ है, जो कि गलत है मेरा सही नाम लीलावती रावत (LILAVATI RAWAT) है. अतः मेरे पुत्र के सभी कागजात में मेरा नाम लीलावती रावत ही लिखा-पढ़ा जावे.

पुराना नाम :
**( नीलम रावत )**
(NEELAM RAWAT)

नया नाम :
**( लीलावती रावत )**
(LILAVATI RAWAT)
निवासी—मानिकपुर कालोनी, डबरा
जिला ग्वालियर (म. प्र.).

(136-बी.)

---

## सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, पार्टनरशिप फर्म ओम सांई विन्धया कांस्ट्रक्शन पता ललचहा हाऊस नागौद, जिला सतना से दिनांक 8-7-2011 से श्री अशोक कुमार सिंह, निवासी फ्लैट नं. 23, प्लाट नं. 27, सेक्टर 6, एरोंली 1, नवी मुम्बई, महाराष्ट्र पृथक् हो गये हैं, दिनांक 8-7-2011 से श्री अशोक कुमार सिंह का फर्म से किसी प्रकार का लेना-देना नहीं है.

ओम सांई विन्धया कांस्ट्रक्शन
द्वारा—**रधुराज सिंह परिहार**
पता—ललचहा हाऊस, नागौद,
जिला सतना (म. प्र.).

(134-बी.)

## सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, पार्टनरशिप फर्म ओम सांई विन्धया कांस्ट्रक्शन में दिनांक 14 फरवरी, 2011 से श्रीमती स्नेहा सिंह W/o श्री रधुराज सिंह, निवासी ललचहा हाऊस, नागौद, जिला सतना (म. प्र.) भागीदार के रूप में शामिल हो गई है.

ओम सांई विन्धया कांस्ट्रक्शन
द्वारा—**रधुराज सिंह परिहार,**
पता—ललचहा हाऊस, नागौद,
जिला सतना (म. प्र.).

(134-ए-बी.)

## आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, फर्म मैसर्स सेठ टेक्टर्स, विवेक टॉकीज के पास, स्टेशन रोड, अशोकनगर में दिनांक 01-04-2013 से भागीदार श्रीमती सारिका सेठ पत्नी श्री वरुण सेठ, निवासी स्टेशन रोड, अशोकनगर एवं आदित्य सेठ पुत्र श्री संजय सेठ, निवासी विवेक टॉकीज गली, अशोकनगर फर्म में सम्मिलित हो गये हैं, आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

**संजय सेठ,**
(भागीदार),
विवेक टॉकीज के पास, स्टेशन रोड, अशोकनगर,
द्वारा-श्री अमित सोगानी (एडवोकेट),
सौगानी एण्ड कम्पनी, नयापुरा, गुना.

(135-बी.)

# विविध

## आयुक्तों तथा जिलाध्यक्षों की सूचनाएं

### कार्यालय कलेक्टर जिला शिवपुरी

शिवपुरी, दिनांक 28 मई, 2014

क्र./बंधक श्रम/समिति/2014/982.—मध्यप्रदेश शासन श्रम विभाग के ज्ञाप क्रमांक 1858/1999/13/ए-16, भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर, 2013 के परिपालन में बन्धक श्रम प्रथा (समाप्ति) अधिनियम, 1976 की धारा-13 की धारा-2 के प्रावधानानुसार मैं श्री आर. के. जैन, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, शिवपुरी निम्नानुसार जिलास्तरीय सतर्कता समिति का पुर्नगठन करता हूँ.—

| | | |
|---|---|---|
| 1. | कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी | अध्यक्ष |
| 2. | अ. जा./अ.ज.जा के तीन सदस्य:— | |
| | (अ) श्री मंगलिया आदिवासी ग्राम करेला, ग्रा.पं. मगरौल, तह. बदरवास | सदस्य |
| | (ब) श्रीमती प्रेमबाई कोरी ग्राम सिंहनिवास, तहसील शिवपुरी | सदस्य |
| | (स) श्रीमती मीना सहरिया ग्राम बरेला, ग्रा. पं. बरगवा, तह. पिछोर | सदस्य |
| 3. | सामाजिक कार्यकर्ता के दो सदस्य:— | |
| | (अ) श्री एल. डी. गुप्ता सेवानिवृत्त प्राचार्य राघवेन्द्र नगर, शिवपुरी | सदस्य |
| | (ब) श्री अशोक कुमार चतुर्वेदी सेवानिवृत्त संचालक पंचायत हाऊ. बोर्ड, शिवपुरी | सदस्य |
| 4. | ग्रामीण विकास से संबंधित शासकीय/अशासकीय के तीन सदस्य:— | |
| | (अ) पुलिस अधीक्षक, शिवपुरी | सदस्य |
| | (ब) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, शिवपुरी | सदस्य |
| | (स) संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग, शिवपुरी | सदस्य |
| 5. | वित्तीय साख संस्था का एक सदस्य:— | |
| | प्रबंधक अग्रणी बैंक, शिवपुरी | सदस्य |

**आर. के. जैन,**
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

(438)

# न्यायालयों की सूचनाएं

## न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, अनुभाग-देवास

देवास, दिनांक 31 मई, 2014

[पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा-5 (2) व पब्लिक ट्रस्ट नियम, 1952 के नियम 5(1) के अन्तर्गत]

क्र. 9020/रीडर-1/14.—आयुक्त, नगर पालिक निगम, देवास के प्रस्ताव क्रमांक 949/लोनिवि/देवास/2014, दिनांक 27 मई, 2014 से प्रस्ताव दिया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ, इन्दौर में प्रस्तुत रिट याचिका क्रमांक 5647/2006 में पारित आदेश दिनांक 3-11-2006 से मिश्रीलाल नगर में स्थित श्री कैलादेवी मंदिर एवं अन्य मंदिरों व परिसर की रिक्त भूमि सम्पत्ति का सार्वजनिक उपयोग करने की कार्यवाही की जावे. उक्त के परिपालन में "श्री कैलादेवी मंदिर सार्वजनिक लोक न्यास" देवास के नाम से पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है. आवेदन-पत्र के साथ ट्रस्ट का घोषणा-पत्र, उद्देश्य, नियमावली एवं ट्रस्ट की प्रस्तावना एवं उसकी रूप रेखा आदि के साथ संलग्न किया गया है. सार्वजनिक ट्रस्ट पंजीयन के संबंध में चालान क्रमांक 44, दिनांक 31-05-2014 से भारतीय स्टेट बैंक, मोतीबंगला शाखा, देवास में पंजीयन शुल्क रुपये 5/- की राशि जमा कर चालान की प्रति संलग्न की गई है.

आयुक्त, नगर पालिक निगम, देवास द्वारा अपने प्रस्तुत आवेदन-पत्र में सार्वजनिक ट्रस्ट की निम्नानुसार स्थायी सम्पत्ति दर्शायी गई है:—

सेठ मिश्रीलाल नगर के बगीचे की भूमि—

1. श्री कैलादेवी मंदिर
2. यज्ञ शाला
3. सेठ मिश्रीलाल की प्रतिमा
4. सर्वेन्ट्स क्वार्टर

सेठ मिश्रीलाल नगर के रोड पर किये गये निर्माण:—

1. रोड पर टिन शेड एवं रेलिंग
2. श्री भैरव महाराज एवं सिंह प्रतिमा
3. करोली नगर के रोड पर 3 फीट चौड़ाई की हेंगिंग गेलरी संत निवास की.

करोली नगर की बगीचे की भूमि—

1. श्री सांई बाबा का मंदिर
2. श्री नवग्रह का मंदिर
3. श्री हनुमान प्रतिमा
4. स्टेज
5. संत निवास की हेंगिंग गैलरी 3 फुट चौड़ाई पर

अत: "श्री कैलादेवी मंदिर का सार्वजनिक लोक न्यास" देवास के पंजीयन हेतु यदि किसी व्यक्ति विशेष अथवा कोई संस्था को किसी भी प्रकार की कोई दावा/आपत्ति हो तो वह अपनी लिखित आपत्ति आगामी पेशी दिनांक 02 जुलाई, 2014 को समक्ष में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है. नियत समयावधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली किसी भी प्रकार की दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा प्रकरण में आगामी कार्यवाही सम्पादित की जावेगी.

आज दिनांक 31 मई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई.

**धीरज श्रीवास्तव,**
अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

(439)

---

## न्यायालय कलेक्टर सिवनी एवं पंजीयक, लोक न्यास अधिकारी, सिवनी, जिला सिवनी

प्र. क्र. बी-113 (1)/2013-2014.

**प्रारूप-तृतीय**

[नियम 5 (1) देखिये ]

एतद्द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका कु. विमला वर्मा आ. स्व. कृष्णप्रसाद वर्मा, निवासी गिरधर भवन,

अशोक वार्ड, सिवनी द्वारा मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित बोर्ड परीक्षाओं में सिवनी जिले के दसवीं एवं बारहवीं कक्षा में अपने-अपने संकाय में अध्ययनरत प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त प्रतिभावान छात्रों एवं छात्राओं में से प्रत्येक को सम्मान निधि एवं प्रमाण-पत्र देना तथा उनका शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं सर्वांगीण विकास करना, समाज के निर्धन अपंग तथा प्रतिभावान छात्रों एवं छात्राओं को उत्तम शिक्षा प्रदाय करने हेतु शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना तथा सहायता करने हेतु ''श्रीमती कृष्णाप्रसाद वर्मा एजुकेशन न्यास'' अशोक वार्ड, सिवनी, तहसील व जिला सिवनी का लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन-पत्र दिनांक 12 जून, 2014 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुये कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जायेगा.

**अनुसूची**

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | लोक न्यास का नाम | : | ''श्री कृष्णाप्रसाद वर्मा एजुकेशन न्यास'' अशोक वार्ड, सिवनी. |
| 2. | चल सम्पत्ति | : | 11,00,000 (ग्यारह लाख रुपये). |
| 3. | अचल सम्पत्ति | : | निरंक. |

**जे. समीर लकरा,**
अपर कलेक्टर एवं पंजीयक.

(345)

---

## न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास, जबलपुर

जारी दिनांक 29 अप्रैल, 2014

राजस्व प्र. क्र. 4/बी-113/1/13-14.

**प्रारूप-4**

[नियम 5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1962 के नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

चूंकि श्री स्टेनली समुअल आत्मज श्री प्रकाश जे. समुअल, निवासी 21, मण्डला रोड, तिलहरी, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश 482010 द्वारा सामर्थ सोशल सर्विस ऑरगेनाइजेशन एण्ड चेरेटेबल ट्रस्ट, 22, आकार्ष एनक्लेव, मंडला रोड, तिलहरी, जबलपुर, मध्यप्रदेश 482010 के पंजीयन हेतु मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अधीन नीचे अनुसूची में दर्शाई गई संपत्ति लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट कर पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है.

अतः एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि मेरे न्यायालय में दिनांक.. .....को विचार के लिए नियत किया गया है. कोई भी व्यक्ति उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्ति प्रस्तुत करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से 01 माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता है अथवा उक्त दिनांक को न्यायालय में मेरे समक्ष स्वयं या अभिभाषक या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत करे. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्राह्य नहीं किया जावेगा.

**अनुसूची**

(लोक न्यास की संपत्ति का विवरण, लोक न्यास का नाम और पता )

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | लोक न्यास का नाम | : | ''सामर्थ सोशल सर्विस ऑरगेनाइजेशन एण्ड चेरेटेबल ट्रस्ट'' 22, आकर्ष एनक्लेव मंडला रोड, तिलहरी, जबलपुर, मध्यप्रदेश 482010. |
| 2. | चल सम्पत्ति | : | (1) बैंक ऑफ महाराष्ट्र तिलहरी, ब्रांच जबलपुर 482010 में बचत खाता क्र. 60150284287 में जमा राशि रु. 5,000/- |
| 3. | अचल सम्पत्ति | : | निरंक. |

**नेहा माख्या,**
पंजीयक.

(440)

## न्यायालय पंजीयक, सार्वजनिक लोक न्यास, बुरहानपुर

जारी, दिनांक 04 जून, 2014

**प्रारूप-तृतीय**

(मध्यप्रदेश सार्वजनिक लोक न्यास अधिनियम, 1961 की धारा-04 के अन्तर्गत)

एतद्द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि लोक न्यासों के पंजीयक, बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर के समक्ष यह कि अध्यक्ष श्री अशोक किसन पाटील, निवासी ग्राम दापोरा, तहसील व जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश ने ''माँ बाघेश्वरी गौदेवी गौ-संवर्धन एवं अनुसंधान केन्द्र'' धामनगांव, तहसील व जिला बुरहानपुर का लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-54 के अन्तर्गत अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिये ''लोक न्यास'' के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन दिनांक 03 जुलाई, 2014 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा.

### अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता, सम्पत्ति का विवरण)

1. माँ बाघेश्वरीदेवी गौ संवर्धन एवं अनुसंधान केन्द्र''.

2. चल सम्पत्ति .. बैंक ऑफ इंडिया दापोरा शाखा में बचत खाता क्र. 950510110004563.

3. अचल सम्पत्ति .. निरंक.

**के. आर. बड़ोले,**
पंजीयक.

(509)

## अन्य सूचनाएं

### कार्यालय उप आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ

[मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 की धारा-58 (1) (डी) के अन्तर्गत]

लक्ष्य स्वायत्त साख सहकारिता मर्यादित, पेटलावद, पंजीयन क्र. 27, दिनांक 16 मई, 2012 का संस्था की साधारण सभा में विघटन करने का निर्णय लिया गया है. मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 की धारा-58 (1) (ए) के अन्तर्गत सहकारिता द्वारा विघटन हेतु साधारण सम्मेलन बुलाकर संकल्प पारित किया गया है. उक्त प्रस्ताव सहकारिता द्वारा विघटन का आदेश जारी करने हेतु इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है. प्रस्ताव के साथ सहकारिता द्वारा मूल पंजीयन प्रमाण-पत्र, पंजीयन की मूल नस्ती एवं स्थिति विवरण पत्रक निरंक कर अन्य रेकार्ड के साथ प्रस्तुत किया गया है. कार्यालय स्तर पर प्रस्ताव का परीक्षण कराया गया. परीक्षण अधिकारी द्वारा प्रस्ताव अधिनियम के प्रावधानों के अनुकूल होने से संस्था का विघटन करने के आदेश जारी किये जाने की अनुशंसा की गई है.

सहकारिता का प्रस्ताव अधिनियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत होकर देनदारियों-लेनदारियों को निरंक पाये जाने तथा परीक्षण अधिकारी की अनुशंसा से मुझे यह समाधान हो गया है कि सहकारिता का विघटन कर दिया जावे.

अतः मैं, बबलू सातनकर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग द्वारा विज्ञप्ति क्रमांक 55-13-99-पन्द्रह-1, दिनांक 24 अप्रैल, 2000 से प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 की धारा-58 (1) (डी) के अन्तर्गत लक्ष्य स्वायत्त साख सहकारिता मर्यादित, पेटलावद को विघटित करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 06 जनवरी, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया है.

(441)

[मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 की धारा-58 (1) (डी) के अन्तर्गत]

नवकार स्वायत्त साख सहकारिता मर्यादित, पेटलावद, पंजीयन क्र. 21, दिनांक 15 नवम्बर, 2010 का संस्था की साधारण सभा में विघटन करने का निर्णय लिया गया है. मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 की धारा-58 (1) (ए) के अन्तर्गत सहकारिता द्वारा विघटन हेतु साधारण सम्मेलन बुलाकर संकल्प पारित किया गया है. उक्त प्रस्ताव सहकारिता द्वारा विघटन का आदेश जारी करने हेतु इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है. प्रस्ताव के साथ सहकारिता द्वारा मूल पंजीयन प्रमाण-पत्र, पंजीयन की मूल नस्ती एवं स्थिति विवरण पत्रक निरंक कर अन्य रेकार्ड के साथ प्रस्तुत किया गया है. कार्यालय स्तर पर प्रस्ताव का परीक्षण कराया गया. परीक्षण अधिकारी द्वारा प्रस्ताव अधिनियम के प्रावधानों के अनुकूल होने से संस्था का विघटन करने के आदेश जारी किये जाने की अनुशंसा की गई है.

सहकारिता का प्रस्ताव अधिनियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत होकर देनदारियों-लेनदारियों को निरंक पाये जाने तथा परीक्षण अधिकारी की अनुशंसा से मुझे यह समाधान हो गया है कि सहकारिता का विघटन कर दिया जावे.

अतः मैं, बबलू सातनकर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग द्वारा विज्ञप्ति क्रमांक 55-13-99-पन्द्रह-1, दिनांक 24 अप्रैल, 2000 से प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 की धारा-58 (1) (डी) के अन्तर्गत नवकार स्वायत्त साख सहकारिता मर्यादित, पेटलावद को विघटित करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 06 जनवरी, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया है.

**बबलू सातनकर,**
उप-पंजीयक.

(441-A)

---

## कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ

झाबुआ, दिनांक 2 दिसम्बर, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 के नियम-57 सी के अन्तर्गत)

क्र./परि./क्यू.—सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ के आदेश क्र./परि./2012/304, झाबुआ दिनांक 16 अप्रैल, 2012 के अनुसार निम्न सहकारी समिति का जिसका नाम व पंजीयन दिनांक व आदेश क्रमांक का उल्लेख किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-7 रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत मुझे निम्नांकित समिति का परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

| क्र. | संस्था का नाम | पंजीयन क्र. व दिनांक | परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक |
|---|---|---|---|
| 1. | मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., नवापाड़ा | 1069/14-12-2010 | 304/16-04-2012 |

अतः मैं, सुभाष कर्णिक, परिसमापक व वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उपरोक्त संस्था के संबंध में कोई दावा या आपत्ति या रेकार्ड हो तो इस सूचना-पत्र के जारी होने के दिनांक से 2 माह के अन्दर मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें. उक्त समयावधि के पश्चात् प्राप्त दावे और आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा और संस्था के परिसमापन की वैध कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सहकारी संस्था के पूर्व कर्मचारी/सदस्यों/पदाधिकारियों के पास कोई रेकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे भी उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी.

**सुभाष कर्णिक,**
परिसमापक एवं वरिष्ठ सह. निरीक्षक.

(452)

## कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ

झाबुआ, दिनांक 18 दिसम्बर, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 के नियम-57 सी के अन्तर्गत)

क्र./परि./क्यू.—सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ के आदेश क्र./परि./2013/507, झाबुआ दिनांक 02 दिसम्बर, 2013 के अनुसार निम्न सहकारी समिति का जिसका नाम व पंजीयन दिनांक व आदेश क्रमांक का उल्लेख किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-7 रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत मुझे निम्नांकित समिति का परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

| क्र. | संस्था का नाम | पंजीयन क्र. व दिनांक | परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक |
|---|---|---|---|
| 1. | दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चेनपुरा | 837/19-04-1994 | 567/02-12-2013 |

अत: मैं, ओ. पी. पंवार, परिसमापक व सहकारी निरीक्षक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उपरोक्त संस्था के संबंध में कोई दावा या आपत्ति या रेकार्ड हो तो इस सूचना-पत्र के जारी होने के दिनांक से 2 माह के अन्दर मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें. उक्त समयावधि के पश्चात् प्राप्त दावे और आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा और संस्था के परिसमापन की वैध कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सहकारी संस्था के पूर्व कर्मचारी/सदस्यों/पदाधिकारियों के पास कोई रेकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे भी उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी.

**ओ. पी. पंवार,**
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(442)

## कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ

झाबुआ, दिनांक 30 दिसम्बर, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 के नियम-57 सी के अन्तर्गत)

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ के आदेश क्र./परि./2013/567/313, झाबुआ दिनांक 2 दिसम्बर, 2013 एवं 16 अप्रैल, 2012 के अनुसार निम्न सहकारी समितियों का जिनके नाम व पंजीयन दिनांक व आदेश क्रमांक का उल्लेख किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-7 रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69, 70 (1) के अन्तर्गत मुझे निम्नांकित समितियों का परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

| क्र. | संस्था का नाम | पंजीयन क्र. व दिनांक | परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक |
|---|---|---|---|
| 1. | दुग्ध उत्पा. सह. संस्था, लखपुरा | 809/27-07-1993 | 567/02-12-2013 |
| 2. | मेघा स्टेशनरी मुद्रणालय, मेघनगर | 970/20-11-2001 | 567/02-12-2013 |
| 3. | दुग्ध उत्पा. सह. संस्था, नरसिंगपुरा | 1023/04-12-2007 | 313/16-04-2012 |
| 4. | दुग्ध उत्पा. सह. संस्था, कालियाकोठी | 932/29-03-1977 | 313/16-04-2012 |

अत: मैं, विनोद कुमार रावल, परिसमापक व उप-अंकेक्षक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उपरोक्त संस्थाओं के संबंध में कोई दावा या आपत्ति या रेकार्ड हो

तो इस सूचना-पत्र के जारी होने के दिनांक से 2 माह के अन्दर मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें. उक्त समयावधि के पश्चात् प्राप्त दावे और आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा और संस्था के परिसमापन की वैध कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सहकारी संस्थाओं के पूर्व कर्मचारी/सदस्यों/पदाधिकारियों के पास कोई रेकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे भी उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी.

**विनोद कुमार रावल,**
परिमसापक एवं उप-अंकेक्षक.

(443)

---

## कार्यालय परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप-आयुक्त, सहकारिता जिला इन्दौर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है :—

| क्र. | नाम संस्था | पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक | परिसमापन क्रमांक एवं दिनांक |
|---|---|---|---|
| 1. | तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., निपानिया, जिला इन्दौर. | ए.आर./आय.डी.आर./ 837/16-10-1986 | क्र./परि./12/4425/30-10-2012 |
| 2. | तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बडाबांगडदा, जिला इन्दौर. | ए.आर./आय.डी.आर./ 750/12-09-1983 | क्र./परि./12/4425/30-10-2012 |
| 3. | तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नैनोद, जिला इन्दौर. | ए.आर./आय.डी.आर./ 884/12-10-1988 | क्र./परि./12/4425/30-10-2012 |
| 4. | तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जामौदी, जिला इन्दौर. | ए.आर./आय.डी.आर./ 887/12-10-1988 | क्र./परि./12/4425/30-10-2012 |
| 5. | तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., दतोदा, जिला इन्दौर. | ए.आर./आय.डी.आर./ 601/24-10-1981 | क्र./परि./12/4425/30-10-2012 |

सहकारी अधिनियम की धारा-77 (1) के अन्तर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं. अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, श्रम शिविर, जेल रोड, इन्दौर में कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे. समयावधि उपरांत उनकी कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्थाओं की लेखापुस्तकों में लेखा बहु दायित्व स्वयं मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां/डेडस्टॉक/संस्थाओं का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकॉर्ड , डेडस्टॉक नहीं सौंपे गये हैं, तो सम्बन्धित के विरुद्ध उनकी वसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी. जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित की रहेगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियाँ समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्य मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 25 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है.

(444)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप-आयुक्त, सहकारिता जिला इन्दौर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का पंजीयन निरस्त किया जाकर धारा-18 (ए/क) (1), (2), (3) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को समनुदेशिती नियुक्त किया गया है :-

| क्र. | नाम संस्था | पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक | परिसमापन क्रमांक एवं दिनांक |
|---|---|---|---|
| 1. | आदिल साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर | ए.आर./आय.डी.आर./ 934/20-12-1990 | परि./2012/5431/31-12-1992 |
| 2. | अलअमीन साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर | ए.आर./आय.डी.आर./ 1792/21-08-1996 | परि./2012/5431/31-12-1992 |
| 3. | बिरला भारत साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर | ए.आर./आय.डी.आर./ 1973/09-02-2000 | परि./2012/5431/31-12-1992 |
| 4. | हितकारिणी साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर | ए.आर./आय.डी.आर./ 1138/08-05-1992 | परि./2012/5431/31-12-1992 |
| 5. | हरिवंश साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर | ए.आर./आय.डी.आर./ 1443/04-06-1994 | परि./2012/5431/31-12-1992 |

सहकारी अधिनियम की धारा-18 (1) के अन्तर्गत पंजीयन निरस्ती दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां समनुदेशिती में वेष्ठित हो गई हैं. अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखितरूप से मेरे कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता श्रम शिविर, जेल रोड, इन्दौर में कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे. समयावधि उपरांत उनकी कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्थाओं की लेखापुस्तकों में लेखा बहु दायित्व स्वयं मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां/डेडस्टॉक/संस्थाओं का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकॉर्ड डेडस्टॉक नहीं सौंपे गये हैं, तो सम्बन्धित के विरुद्ध उनकी वसूलने हेतु विधिवत् कार्यवाही की जावेगी. जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित की रहेगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियाँ समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्य मानकर तद्नुसार संस्था के आस्तियों का निराकरण कर सक्षम अधिकारी को निराकरण संबंधी अन्तिम प्रतिवेदन आगामी कार्यवाही हेतु प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 25 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है.

**संजय कुचनकर,**
सहकारी निरीक्षक एवं समनुदेशिती.

(444-A)

---

## कार्यालय परिसमापक, महिला रंगाई-छपाई सहकारी संस्था मर्यादित, दलोदा, तहसील मन्दसौर, विकासखण्ड मन्दसौर, जिला मन्दसौर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मंदसौर के आदेश क्रमांक/परि./144/2014, मंदसौर, दिनांक 12 फरवरी, 2014 के द्वारा महिला रंगाई-छपाई सहकारी संस्था मर्यादित, दलोदा तहसील मन्दसौर, जिला मन्दसौर जिसका पंजीयन क्रमांक डी. आर./एमडीएस/529, मंदसौर, दिनांक 7 अगस्त 1995 को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को संशोधित आदेश क्रमांक/परि./144/2014, मंदसौर, दिनांक 12 फरवरी, 2014 से परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मैं, विष्णुकुमार खेरिया, सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला मंदसौर एवं उपरोक्त संस्था का परिसमापक मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 57 (सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उपरोक्त सहकारी संस्था के प्रति कोई दावे या आपत्तियां या कोई रिकार्ड हो तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के दो माह (60 दिन) के मध्य मुझे कार्यालय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मंदसौर में मय प्रमाण के लिखित प्रस्तुत करें. समयावधि पश्चात् प्राप्त दावे आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा. यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के कर्मचारी, सदस्य, सक्षम पदाधिकारी के पास संस्था का रिकार्ड परिसम्पत्ति या नगदी हो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करा देवें. अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

आज दिनांक 12 फरवरी 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया जावेगा.

**विष्णुकुमार खेरिया,**
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(445)

## कार्यालय परिसमापक, बुनकर सहकारी संस्था मर्या., दलौदा

दिनांक 06 मार्च, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र./क्यू.-2.—बुनकर सहकारी संस्था मर्यादित, दलौदा, तहसील दलौदा, जिला मंदसौर जिसका पंजीयन क्रमांक 374, दिनांक 15 मई, 1992 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहाकरी संस्थाएं, जिला मंदसौर के आदेश क्रमांक 147, दिनांक 12 फरवरी, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना पत्र आज दिनांक 6 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

**विपिन बडगोती,**
परिसमापक.

(446)

---

## कार्यालय परिसमापक, मित्र मण्डली गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, मन्दसौर, तहसील मन्दसौर, जिला मन्दसौर

दिनांक 15 अप्रैल, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम क्र. 57 (सी) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मंदसौर के आदेश क्रमांक/2014/149/परि., दिनांक 12 फरवरी, 2014 द्वारा मित्र मंडली गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, मंदसौर तहसील मन्दसौर, जिला मन्दसौर जिसका पंजीयन क्रमांक 33, दिनांक 17 अक्टूबर, 1986 को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे (अधोहस्ताक्षरकर्ता) से परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मैं, एस. एल. बामनिया, सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला मंदसौर एवं उपरोक्त संस्था का परिसमापक मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 57 (सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उपरोक्त सहकारी संस्था के प्रति कोई दावे या आपत्तियां या कोई रिकार्ड हो तो वे इस सूचना पत्र के जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर मुझे कार्यालय, उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मंदसौर में मय प्रमाण के लिखित प्रस्तुत करें. समयावधि पश्चात् प्राप्त दावे आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापक की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा, यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के कर्मचारी, सदस्य, सक्षम पदाधिकारी के पास संस्था का रिकार्ड परिसम्पत्ति या नगदी हो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करा देवें. अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

आज दिनांक 15 अप्रैल, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

**एस. एल. बामनिया,**
परिसमापक.

(447)

---

## कार्यालय परिसमापक, केशव गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, सीतामऊ, तहसील सीतामऊ, जिला मन्दसौर

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम क्र. 57 (सी) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मंदसौर के आदेश क्रमांक/148/परि./200/2014, दिनांक 12 फरवरी, 2014 द्वारा केशव गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, सीतामऊ, तहसील सीतामऊ, जिला मन्दसौर जिसका पंजीयन क्रमांक 31, दिनांक 6 अप्रैल, 1980 को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे (अधोहस्ताक्षरकर्ता) परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मैं, अनिल ओझा, सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला मंदसौर एवं उपरोक्त संस्था का परिसमापक मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 57 (सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उपरोक्त संस्था के प्रति कोई दावे या आपत्तियां या कोई रिकार्ड हो तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर मुझे कार्यालय, उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मंदसौर में मय प्रमाण के लिखित प्रस्तुत करें. समयावधि पश्चात प्राप्त दावे आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा, यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के कर्मचारी, सदस्य, सक्षम पदाधिकारी के पास संस्था का रिकार्ड परिसम्पत्ति या नगदी हो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करा देवें. अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

आज दिनांक 31 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

**अनिल ओझा,**
सहकारी निरीक्षक.

(448)

---

## कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बाड़ी, जिला रायसेन

कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला रायसेन के निम्नानुसार परिसमापक आदेश के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अंतर्गत निम्नांकित संस्थाओं के मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर मुझे धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

| क्र. | परिसमापित संस्थाओं के नाम | पंजीयन क्रमांक व दिनांक | परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | ऋतुराज प्रा. उप भंडार मर्या., बाड़ी | 833/11-07-2003 | 1315/10-09-2013 |
| 2. | मातृशक्ति प्रा. उप भंडार मर्या., बाड़ी | 853/10-12-2003 | 1314/10-09-2013 |
| 3. | आदिवासी पशुपालन सह. सं. उमरईबेहरा | 794/01-08-2002 | 1229/29-08-2013 |
| 4. | बहु. सह. सं. मर्या., पारतलाई | 820/14-02-2003 | 1320/10-09-2013 |
| 5. | बारना मत्स्यो. सह. सं. मर्या., बाड़ी | 679/23-08-1997 | 1312/10-09-2013 |
| 6. | महिला दुग्ध उत्पा. सह. सं., उदयगिरी | 705/19-12-2000 | 1223/29-08-2013 |
| 7. | महिला दुग्ध उत्पा. सह. सं., मगरधा | 704/19-12-2000 | 1222/29-08-2013 |
| 8. | महिला दुग्ध उत्पा. सह. सं., सलैया कन्हवार | 670/06-03-1999 | 1221/29-08-2013 |
| 9. | महिला दुग्ध उत्पा. सह. सं., कामतौन | 636/29-12-1997 | 1218/29-08-2013 |
| 10. | महिला दुग्ध उत्पा. सह. सं., बेगनिया | 632/29-12-1997 | 1217/29-08-2013 |
| 11. | महिला दुग्ध उत्पा. सह. सं., चारगांव | 463/23-01-1991 | 1224/29-08-2013 |
| 12. | तिलहन उत्पा. सह. सं., भौडिया | 343/28-11-1985 | 1230/29-08-2013 |
| 13. | ईंधन आपूर्ति सह. सं. मर्या., बाड़ी | 955/23-08-2008 | 1313/10-09-2013 |

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1960 के नियम 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्थाओं के विरुद्ध अपने समस्त दावों के सूचना के प्रकाशन के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय साक्ष्य के यदि कोई हो तो मुझे इस कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला रायसेन में उपस्थित होकर लिखित रूप से सप्रमाण प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में किसी भी बंटवारे से वंचित होने के लिए संबंधित दावेदार स्वयं उत्तरदायी होंगे. यदि 60 दिवस की अवधि में किसी दावेदार ने अपना दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जायेगा तथा संस्थाओं की लेखापुस्तकों में समस्त लेखबद्ध दायित्व मुझे स्वयमेव प्रस्तुत किये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 20 फरवरी, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से यह आदेश जारी किया गया.

**एम. पी. वर्मा,**
परिसमापक एवं सह. विस्तार अधिकारी.

(449)

## कार्यालय परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक, सहकारी समितियां, रायसेन

कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला रायसेन के निम्नानुसार परिसमापक आदेश के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अंतर्गत निम्नांकित संस्थाओं के मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर मुझे धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

| क्र. | परिसमापित संस्थाओं के नाम | पंजीयन क्रमांक व दिनांक | परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक | विकासखंड |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | मत्स्य पालन सह. सं. मर्या., उमरखोह | 934/26-07-2006 | 1340/12-09-2013 | बेगमगंज |
| 2. | कृति गृह निर्माण सह. सं. मर्या., बेगमगंज | 621/12-09-1997 | 1208/29-08-2013 | बेगमगंज |
| 3. | हरि. बुनकर सह. सं. मर्या., मरखेडा टप्पा | 867/04-03-2004 | 1327/10-09-2013 | बेगमगंज |
| 4. | उदित ईंधन आपूर्ति सह. सं. मर्या., बेगमगंज | 939/21-09-2006 | 1294/10-09-2013 | बेगमगंज |
| 5. | दिग्विजय बीज उत्पा. सह. सं. मर्या., बेगमगंज | 830/11-06-2003 | 1236/29-08-2013 | बेगमगंज |
| 6. | चर्म एवं हड्डी उद्योग सह. सं., बेगमगंज | 555/18-03-1994 | 330/24-04-2012 | बेगमगंज |
| 7. | ईंधन आपूर्ति सह. सं. मर्या., बेगमगंज | 883/09-08-2004 | 1126/30-07-2011 | बेगमगंज |
| 8. | गांधी गृह निर्माण सह. सं., बेगमगंज | 303/30-11-1981 | 1406/18-09-2001 | बेगमगंज |
| 9. | भारत मछली पालन सह. सं., बेगमगंज | 593/24-08-1996 | 1327/10-09-2013 | बेगमगंज |
| 10. | ईंट उद्योग सह. सं. मर्या., सिलवानी | 444/03-03-1989 | 961/26-08-1998 | सिलवानी |
| 11. | महिला बहु. सह. सं. मर्या., सिलवानी | 768/06-04-2002 | 402/31-03-2006 | सिलवानी |

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1960 के नियम 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्थाओं के विरुद्ध अपने समस्त दावों के सूचना के प्रकाशन के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय साक्ष्य के यदि कोई हो तो मुझे इस कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला रायसेन में उपस्थित होकर लिखित रूप से सप्रमाण प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में किसी भी बंटवारे से वंचित होने के लिए संबंधित दावेदार स्वयं उत्तरदायी होंगे. यदि 60 दिवस की अवधि में किसी दावेदार ने अपना दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जायेगा तथा संस्थाओं की लेखापुस्तकों में समस्त लेखबद्ध दायित्व मुझे स्वयमेव प्रस्तुत किये समझे जावेंगे.

आज दिनांक 20 फरवरी, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से यह आदेश जारी किया गया.

एम. एस. ठाकुर,
परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक.

(450)

---

## कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड औबेदुल्लागंज, जिला रायसेन

कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला रायसेन के निम्नानुसार परिसमापक आदेश के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अंतर्गत निम्नांकित संस्थाओं के मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर मुझे धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

| क्र. | परिसमापन संस्थाओं के नाम | पंजीयन क्रमांक व दिनांक | परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | ईंट भट्टा उद्योग सह. सं., चकावली | 876/04-06-2004 | 1311/10-09-2013 |
| 2. | बाबा ईंधन आपूर्ति सह. सं., मंडीदीप | 819/10-02-2003 | 1297/10-09-2013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 3. | महाराणा प्रताप ईंधन आपूर्ति, ओ. गंज | 808/03-12-2002 | 1300/10-09-2013 |
| 4. | ईंधन आपूर्ति सह. संस्था मर्या.,सुल्तानपुर | . . | 1311/10-09-2013 |
| 5. | सोनल गृह निर्माण सह. संस्था, मंडीदीप | 619/05-08-1997 | 1324/10-09-2013 |
| 6. | मंजूल गृह निर्माण सह. संस्था, ओ. गंज | 369/01-05-1987 | 1293/10-09-2013 |
| 7. | महिला दुग्ध उत्पा. सह. सं., मंजूसखुर्द | 729/13-09-2001 | 1307/10-09-2013 |
| 8. | दुग्ध उत्पा. सह. सं. मर्या., बगासपुर | 465/14-02-1991 | 1126/30-07-2011 |
| 9. | नील क्रांति मत्स्यो. सह. सं., मण्डीदीप | 616/02-07-1997 | 1303/10-09-2013 |
| 10. | मत्स्यो. सह. सं. मर्या., आशापुरी | 933/19-07-2006 | 1346/10-09-2013 |
| 11. | संगम मत्स्यो. सह. सं. मर्या., सिंहपुर | 695/30-09-2000 | 1304/10-09-2013 |
| 12. | रातापानी मत्स्यो. सह. सं., गौहरगंज | 367/28-03-1995 | 1305/10-09-2013 |
| 13. | नर्मदा मत्स्यो. सह. सं., नूरगंज | 562/19-10-1994 | 1172/28-08-2001 |
| 14. | नवरंग मत्स्यो. सह. सं., आमछाकला | 603/16-12-1996 | 976/31-07-2003 |
| 15. | श्री सांईनाथ प्रा. उप. भंडार, मण्डीदीप | 846/29-09-2003 | 1302/10-09-2013 |
| 16. | श्री दुर्गा महिला प्रा. उप. भंडार, औ. गंज | 686/04-01-2000 | 1306/10-09-2013 |
| 17. | आदर्श महिला प्रा. उप. भंडार, औ. गंज | 585/24-05-1996 | 1325/10-09-2013 |
| 18. | बीज भंडार सह. सं., सुल्तानपुर | 125/14-05-1994 | 1241/29-08-2013 |

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1960 के नियम 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्थाओं के विरुद्ध अपने समस्त दावों के इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय साक्ष्य के यदि कोई हो तो मुझे इस कार्यालय उप आयुक्त, सहकारिता, जिला रायसेन में उपस्थित होकर लिखित रूप से सप्रमाण प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में किसी भी बंटवारे से वंचित होने के लिये संबंधित दावेदार स्वयं उत्तरदायी होंगे. यदि 60 दिवस की अवधि में किसी दावेदार ने अपना दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जायेगा तथा संस्थाओं की लेखापुस्तकों में समस्त लेखबद्ध दायित्व मुझे स्वयमेव प्रस्तुत किये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 20 फरवरी, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से यह आदेश जारी किया गया.

**विनयसिंह,**

(451) परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी.

---

## कार्यालय परिसमापक, आदिवासी बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., दत्तीगांव

## तहसील सरदारपुर, जिला धार

दिनांक 15 जनवरी, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

आदिवासी बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., दत्तीगांव, तहसील सरदारपुर, जिला धार जिसका पंजीयन क्रमांक 325, दिनांक 21 मार्च, 1967 है, को रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला धार के आदेश क्रमांक 3145, दिनांक 25 जुलाई, 1977 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

उक्त सहकारी संस्था का पूर्व परिसमापक/अध्यक्ष/सचिव से मुझे किसी भी प्रकार का रिकार्ड, दस्तावेज आदि का चार्ज प्राप्त नहीं हुआ है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 15 जनवरी, 2014 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

**रमेश पेंढारकर,**
उप-अंकेक्षक एवं परिसमापक.

(453)

## कार्यालय परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला धार के द्वारा उनके समक्ष दर्शित आदेश से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है :—

| क्र. | नाम संस्था | परिसमापन आदेश क्र. व दिनांक |
|---|---|---|
| 1. | तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पचलाना | 2132/30-11-2012 |
| 2. | शिवा सहकारी गृह निर्माण संस्था मर्या., पीथमपुर | 839/30-11-2009 |
| 3. | पत्रकार सहकारी गृह निर्माण संस्था मर्या., धार | 839/30-06-2009 |
| 4. | महिला दुग्ध उ. सहकारी संस्था मर्या., बगड़ीपुरा | 2205/06-12-2012 |

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्रमांक 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्थाओं के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्थाओं की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 20 जनवरी, 2014 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

**स्वरुप माधवाचार्य,**
परिसमापक.

(454)

## कार्यालय परिसमापक, सहकारी संस्था मर्या., जिला धार

दिनांक 18 फरवरी, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

| क्र. | नाम संस्था | पंजीयन क्रमांक व दिनांक | परिसमापन में आने का आदेश क्र. व दिनांक | परिसमापक नियुक्ति का आदेश क्रमांक व दिनांक |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | आदिवासी बुनकर सहकारी संस्था मर्या., बाग, तह. कुक्षी | 814/07-08-1985 | 549/22-03-1999 | 656/12-04-2013 |
| 2. | रंगाई-छपाई उद्योग सहकारी संस्था मर्या.,बाग, तह. कुक्षी | 152/21-01-1990 | 1584/22-08-2000 | 2013/656/18-4-2013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 3. | आदिवासी चटाई-बुनाई उद्योग सहकारी संस्था मर्या., नरवाली, तह. कुक्षी. | 87/30-04-1960 | 2423/16-01-2001 | 656/18-04-2013 |
| 4. | प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी संस्था मर्या., डही, तह. कुक्षी | 733/04-11-1988 | 1256/10-9-2013 | 1256/10-09-2013 |
| 5. | दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लोणी, तह. कुक्षी | 622/01-01-1985 | 1461/23-08-2012 | 1553/08-10-2013 |

उपरोक्तानुसार सहकारी संस्थाओं को रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला धार के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत उक्त आदेशानुसार मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

उपरोक्त सहकारी संस्थाओं के पूर्व परिसमापक/अध्यक्ष/सचिव से मुझे किसी भी प्रकार का रिकार्ड, दस्तावेज आदि का चार्ज प्राप्त नहीं हुआ है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्थाओं के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 18 फरवरी, 2014 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

**जी. एस. कनेश,**
स.नि. एवं परिसमापक.

(455)

---

## कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, सहकारी संस्थाएं, बैतूल

बैतूल, दिनांक 14 नवम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1) सी/ग के अन्तर्गत]

क्र./परि./13/981.—कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बैतूल, जिला बैतूल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/13/771, दिनांक 21 अगस्त, 2013 के द्वारा मुझे निम्नानुसार सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है :—

| क्रमांक (1) | संस्था का नाम (2) | पंजीयन क्र./दिनांक (3) | परिसमापन आदेश क्र./दिनांक (4) |
|---|---|---|---|
| 1. | हरिजन मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., खामला | 1252/27-07-1991 | 771/31-08-2013 |
| 2. | पूर्णा महिला गृह उद्योग सहकारी संस्था मर्या., पोहर | 1500/15-02-2005 | 771/31-08-2013 |
| 3. | प्रजापति कुंभकार औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या., झल्लार | 657/10-11-1997 | 771/31-08-2013 |
| 4. | श्री सांई वनोपज विकास उद्योग सहकारी संस्था मर्या., कोथलकुड | 1427/02-03-2003 | 771/31-08-2013 |

उपरोक्त सहकारी संस्थाओं से मुझे किसी प्रकार का कोई रिकॉर्ड अथवा दस्तावेज तथा डेड स्टॉक आदि का चार्ज प्राप्त नहीं हुआ है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) को उपयोग में लाते हुये मैं, युवराज ठाकरे, परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, बैतूल मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1) सी/ग के अंतर्गत यह सूचित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं से किसी दावेदार या सदस्यों की कोई लेनदारी हो या दावा प्रस्तुत करना हो तो इस सूचना के जारी होने के दो माह के अंदर मय दस्तावेजों/प्रमाणकों के कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि की समाप्ति के पश्चात् दावों (क्लेम) पर कोई विचार नहीं किया जावेगा. जिसके लिये संबंधित सदस्य/दावेदार ही व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेंगे. संस्थाओं के कोई भी अभिलेख या संपत्ति किसी भी व्यक्ति के पास उपलब्ध हो तो वह भी 15 दिवस के भीतर मेरे कार्यालय में जमा कर देवें अन्यथा ऐसे व्यक्ति वैधानिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होंगे.

**युवराज ठाकरे,**
परिसमापक.

(456)

## कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, सहकारी समिति, बैतूल

बैतूल, दिनांक 14 अगस्त, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1) सी/ग के अन्तर्गत]

क्र./परि./13/710.—कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बैतूल, जिला बैतूल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/13/463, दिनांक 21 जून, 2013 के द्वारा मुझे निम्नानुसार सहकारी समितियों का परिसमापक नियुक्त किया गया है :—

| क्रमांक (1) | संस्था का नाम (2) | पंजीयन क्र./दिनांक (3) | परिसमापन आदेश क्र./दिनांक (4) |
|---|---|---|---|
| 1. | अदिवासी ईंट उद्योग सहकारी संस्था मर्या., पाढर | 1231/20-12-1988 | 463/21-06-2013 |
| 2. | दुग्ध उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., चिखलीमाल | 1558/22-01-2002 | 463/21-06-2013 |
| 3. | गृह क्षेत्रीय कर्मशाला प्रा. उप. भं. मर्या., बगडोना | 1407/29-07-1999 | 463/21-06-2013 |
| 4. | सतपुड़ा परिवहन सहकारी संस्था मर्या., पाथाखेडा | 1538/26-06-2007 | 463/21-06-2013 |
| 5. | सुगम प्रिंटिंग प्रेस सह. संस्था मर्या., बैतूल | 1315/25-09-1993 | 463/21-06-2013 |
| 6. | ताप्ती महिला गृह उद्योग सह. सं. मर्या., बैतूल | 1561/13-07-2007 | 463/21-06-2013 |
| 7. | सतपुड़ा स्टेशनरी एवं प्रिंटिंग प्रेस सह. सं. मर्या., बैतूल | 1421/31-03-2000 | 463/21-06-2013 |
| 8. | पंचशील ईंट कवेलू उद्योग सह. सं. मर्या., हमलापुर | 80/14-06-1989 | 463/21-06-2013 |
| 9. | जनकल्याण महिला गृह उद्योग सह. सं. मर्या., जीनबोरगांव | 1542/27-11-2006 | 463/21-06-2013 |
| 10. | भारत भारती उप. सह. भंडार मर्या., जामठी | 894/15-05-1973 | 463/21-06-2013 |

उपरोक्त सहकारी संस्थाओं से मुझे किसी प्रकार का कोई रिकॉर्ड अथवा दस्तावेज तथा डेड स्टॉक आदि का चार्ज प्राप्त नहीं हुआ है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) को उपयोग में लाते हुये मैं, एच. एस. कपूरे, परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी सहकारी समितियां, बैतूल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1) सी/ग के अंतर्गत यह सूचित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं से किसी दावेदार या सदस्यों की कोई लेनदारी हो या दावा प्रस्तुत करना हो तो इस सूचना के जारी होने के दो माह के अंदर मय दस्तावेजों/प्रमाणकों के कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि की समाप्ति के पश्चात् दावों (क्लेम) पर कोई विचार नहीं किया जावेगा. जिसके लिये संबंधित सदस्य/दावेदार ही व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेंगे. संस्थाओं के कोई भी अभिलेख या संपत्ति किसी भी व्यक्ति के पास उपलब्ध हो तो वह भी 15 दिवस के भीतर मेरे कार्यालय में जमा कर देवें अन्यथा ऐसे व्यक्ति वैधानिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होंगे.

**एच. एस. कपूरे,**
परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी.

(457)

---

## कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, सहकारी संस्थाएं, बैतूल

बैतूल, दिनांक 03 दिसम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1) सी/ग के अन्तर्गत]

क्र./परि./13/1004.—कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बैतूल, जिला बैतूल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/

13/775, दिनांक 31 अगस्त, 2013 के द्वारा मुझे निम्नानुसार सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है :—

| क्रमांक (1) | संस्था का नाम (2) | पंजीयन क्र./दिनांक (3) | परिसमापन आदेश क्र./दिनांक (4) |
|---|---|---|---|
| 1. | दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., परसोड़ी | 1419/31-03-2000 | 775/31-08-2013 |
| 2. | दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सावंगीघाट | 1444/04-05-2001 | 775/31-08-2013 |
| 3. | दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बिहरगांव | 1579/05-07-2008 | 772/31-08-2013 |
| 4. | दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कुंभीखेड़ा | 1608/17-09-2009 | 775/31-08-2013 |
| 5. | दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गौनापुर | 1610/20-09-2009 | 775/31-08-2013 |
| 6. | दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मंगोनाकला | 996/17-10-1981 | 775/31-08-2013 |
| 7. | दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सोमगढ़ | 1396/30-03-1999 | 775/31-08-2013 |
| 8. | दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खेड़ीदेवनाला | 1570/13-12-2007 | 775/31-08-2013 |
| 9. | दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मालेगांव | 1611/22-09-2009 | 775/31-08-2013 |
| 10. | प्राथमिक विपणन सहकारी संस्था मर्या., प्रभातपट्टन | 1340/10-11-1995 | 775/31-08-2013 |

उपरोक्त सहकारी संस्थाओं से मुझे किसी प्रकार का कोई रिकॉर्ड अथवा दस्तावेज तथा डेड स्टॉक आदि का चार्ज प्राप्त नहीं हुआ है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) को उपयोग में लाते हुये मैं, एस. एस. डोंगरे, परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, बैतूल मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1) सी/ग के अंतर्गत यह सूचित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं से किसी दावेदार या सदस्यों की कोई लेनदारी हो या दावा प्रस्तुत करना हो तो इस सूचना के जारी होने के दो माह के अंदर मय दस्तावेजों/प्रमाणकों के कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि की समाप्ति के पश्चात् दावों (क्लेम) पर कोई विचार नहीं किया जावेगा. जिसके लिये संबंधित सदस्य/दावेदार ही व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेंगे. संस्थाओं के कोई भी अभिलेख या संपत्ति किसी भी व्यक्ति के पास उपलब्ध हो तो वह भी 15 दिवस के भीतर मेरे कार्यालय में जमा कर देवे अन्यथा ऐसे व्यक्ति वैधानिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होंगे.

**एस. एस. डोंगरे,**
परिसमापक.

(458)

---

## परिसमापक जय रामदेव बाबासागर बांध निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, अमोदा

दिनांक 22 जनवरी, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अन्तर्गत]

जय रामदेव बाबा सागर बांध निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, अमोदा, पंजीयन क्रमांक 1863, दिनांक 9 अगस्त 2002 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2013/3531, दिनांक 28 दिसम्बर, 2013 के द्वारा मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह की समयावधि में मय प्रमाण के यदि कोई हो तो मुझे लिखित रूप में स्वयं कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा (आनंदनगर, खण्डवा) में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में समस्त दावेदार किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन रहेंगे. यदि दो माह की समयावधि में किसी दावेदार के द्वारा कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं होगा. संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जायेंगे.

इसके पश्चात पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

(460)

खण्डवा, दिनांक 22 जनवरी, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अन्तर्गत]

वीरपुर कुण्लेश्वर आवना सागर बांध निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, टिडियाजोशी पंजीयन क्रमांक 1850, दिनांक 26 मई, 2002 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2013/3531, दिनांक 28 दिसम्बर, 2013 के द्वारा मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के अपने समस्त दावे को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह की समयावधि में मय-प्रमाण के यदि कोई हो तो मुझे लिखित रूप में स्वयं कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा (आनंदनगर, खण्डवा) में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में समस्त दावेदार किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन रहेंगे. यदि दो माह की समयावधि में किसी दावेदार के द्वारा कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं होगा. संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव विधिवत प्रस्तुत किये समझे जायेंगे.

इसके पश्चात पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

**सुभाष चौहान,**
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(460-A)

---

## कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खण्डवा

खण्डवा, दिनांक 29 मार्च, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2013/3228, दिनांक 23 सितम्बर, 2013 के द्वारा नीवन आदर्श गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, खण्डवा पंजीयन क्रमांक 1191, दिनांक 9 नवम्बर, 1979 को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री आर. के. ओझा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने के उपरांत संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसमें संस्था की लेनदारी व देनदारियों का निपटारा किए जाने का उल्लेख कर अंतिम विवरण पत्रक में लेनदारी व देनदारी को शून्य कर दी गई है. अंतिम स्थिति विवरण पत्रक सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, खण्डवा द्वारा जांच उपरांत निर्गमित की गई है. परिसमापक द्वारा उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त की अनुशंसा की गई है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियाँ जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-1-99-पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए संस्था नीवन आदर्श गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, खण्डवा पंजीयन क्रमांक 1191, दिनांक 9 नवम्बर, 1979 का विकासखण्ड खण्डवा, जिला खण्डवा का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(461)

---

खण्डवा, दिनांक 29 मार्च, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014 /178.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2013/3345, दिनांक 26 अक्टूबर, 2013 के द्वारा फेब्रीकेटर्स बर्क्स सहकारी संस्था मर्यादित, खण्डवा (पंजीयन क्रमांक 812, दिनांक 20 मार्च, 1965) को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री आर. एल. मंगवानी, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने के उपरांत संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसमें संस्था की लेनदारी व देनदारियों का निपटारा किए जाने का उल्लेख कर अंतिम विवरण पत्रक में लेनदारी व देनदारी को शून्य कर दी गई है. अंतिम स्थिति विवरण पत्रक सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, खण्डवा द्वारा जांच उपरांत निर्गमित की गई है. परिसमापक द्वारा उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त की अनुशंसा की गई है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियाँ जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-1-99-पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए संस्था फेब्रीकेटर्स बर्क्स सहकारी संस्था मर्यादित, खण्डवा (पंजीयन क्रमांक 812, दिनांक 20 मार्च, 1965) विकासखण्ड खण्डवा, जिला खण्डवा का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 फरवरी, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

**मदन गजभिये,**
उप-पंजीयक.

(461-A)

---

## कार्यालय परिसमापक चर्मकार औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित, जसवाड़ी

दिनांक 11 मार्च, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र. क्यू.-1.—चर्मकार औद्योगिक सहकारी संस्था, मर्या., जसवाड़ी, तहसील खण्डवा जिला खण्डवा जिसका पंजीयन क्रमांक 1172, दिनांक .....है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला खण्डवा के आदेश क्रमांक 3346, दिनांक 26 अक्टूबर, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्रमांक 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

**संतोष पाटीदार,**
उप-अंकेक्षक.

(462)

---

## कार्यालय परिसमापक माँ नर्मदा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, सिद्धवरकुट

दिनांक 28 फरवरी, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

माँ नर्मदा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था, मर्या., सिद्धवरकुट तहसील पुनासा, जिला खण्डवा जिसका पंजीयन क्रमांक 1925, दिनांक 25 अगस्त, 2004 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला खण्डवा के आदेश क्रमांक 80, दिनांक 25 जनवरी, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्रमांक 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि

हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 28 फरवरी, 2014 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

**जी. एल. वर्मा,**
परिसमापक.

(463)

---

## कार्यालय परिसमापक पूर्णिमा कॉपी रजिस्टर सहकारी समिति मर्या., खण्डवा

दिनांक 01 मार्च, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र./क्यू.-1.—पूर्णिमा कॉपी रजिस्टर सहकारी संस्था मर्यादित, खण्डवा, तहसील खण्डवा, जिला खण्डवा, जिसका पंजीयन क्रमांक 1519, दिनांक 28 मार्च, 1994 है, को उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला खण्डवा के आदेश क्रमांक/परि./2013/3355, दिनांक 26 अक्टूबर, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र.-57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त देनदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकते है. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा/क्लेम मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जायेंगे.

यह सूचना पत्र आज दिनांक 01 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

**आर. के पारे,**
परिसमापक.

(464)

---

## कार्यालय उपायुक्त, सहकारिता, जिला रतलाम

रतलाम, दिनांक 29 अक्टूबर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र./परि/2013/1348.—कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रतलाम द्वारा निम्न आदेश क्रमांक एवं दिनांक के तहत परिसमापनाधीन सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

| क्र. | संस्था का नाम | पंजीयन क्रमांक व दिनांक | आदेश क्रमांक व दिनांक |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | महिला स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था मर्या., रतलाम | 722/27-12-1996 | 704/02-05-2013 |
| 2. | जनता साख सेवा सहकारी संस्था मर्या., रतलाम | 731/06-07-1999 | 705/02-05-2013 |
| 3. | अर्द्ध शास. शिक्षक साख सहकारी संस्था मर्या., रतलाम | 206/16-12-1972 | 706/02-05-2013 |

अत: मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 के नियम 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उपरोक्त समस्त संस्थाओं के क्रमश: लेनदारों/देनदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि उनकी सम्बन्धित संस्थाओं की कोई भी लेनदारी/देनदारी हो तो इस सूचना-पत्र के प्रकाशन से दो माह (60 दिवस ) की अवधि में अपनी लेनदारी-देनदारी का दावा (क्लेम) मय-प्रमाण के मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता को कार्यालय उपायुक्त सहकारिता, हाकिमबाड़ा, रतलाम में कार्यालयीन समय में व्यक्तिश: उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. समयावधि के बाद कोई दावा स्वीकार करने योग्य नहीं होगा तथा परिसमापक द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी.

सूचना आज दिनांक 29 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

**आर. के वर्मा,**
स. नि. एवं परिसमापक.

(465)

## कार्यालय परिसमापक, शहीद नरेन्द्र सिंह चन्द्रावत सहकारी शक्कर कारखाना मर्या., जावरा, तहसील जावरा, जिला रतलाम

रतलाम, दिनांक 7 अप्रैल, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अन्तर्गत]

शहीद नरेन्द्र सिंह चन्द्रावत सहकारी शक्कर कारखाना मर्या., जावरा, तहसील जावरा, जिला रतलाम, जिसका पंजीयन क्रमांक 8, दिनांक 14 जनवरी, 1998 है, को संयुक्त-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन संभाग, उज्जैन के आदेश क्रमांक/248/05/उज्जैन, दिनांक 28 जनवरी, 2005 से परिसमापन में लाया जाकर उपायुक्त सहकारिता, जिला रतलाम को परिसमापक नियुक्त किया गया था. संयुक्त आयुक्त सहकारिता, उज्जैन संभाग, उज्जैन, आदेश क्रमांक/परिसमापन/2011/414, दिनांक 30 मार्च, 2011 के द्वारा उपायुक्त के स्थान पर अधोहस्ताक्षरकर्ता सहायक आयुक्त, सहकारिता, जिला रतलाम को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 7 अप्रैल, 2014 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

**आर. सी. साल्वी,**
परिसमापक.

(466)

---

## कार्यालय सहायक आयुक्त सहकारिता ( अंकेक्षण ), होशंगाबाद

होशंगाबाद, दिनांक 15 मई, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र./अंके.-02/2014/180.—उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्नांकित समितियों को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत संस्थाओं के नाम के सम्मुख दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है :—

| क्रमांक | नाम संस्था | पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक | परिसमापक आदेश क्रमांक व दिनांक |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | रेवा माताश्रम ठेका सहकारी समिति मर्या., होशंगाबाद | 2473/09-10-1995 | 763/29-03-2014 |
| 2. | तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रोहना | 2137/26-08-1982 | 765/29-03-2014 |
| 3. | श्यामा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खापरखेडा | 2968/17-06-2008 | 764/29-03-2014 |
| 4. | निसादराज मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., होशंगाबाद | 2957/15-04-2008 | 761/29-03-2014 |
| 5. | माँ नर्मदा रेशम धागाकरण सहकारी समिति मर्या., मालाखेडी | 2697/10-06-1999 | 762/29-03-2014 |
| 6. | सतपुडा स्वा. बीज उत्पादक मर्या., पिपरिया | 15/29-01-2003 | 60/10-09-2013 |
| 7. | श्री नाथ स्वा. बीज उत्पादक मर्या., बनखेडी | 43/29-09-2003 | 60/10-09-2013 |
| 8. | माँ भगवती म. स्वा. सहकारी मर्या., राईखेडी | 08/15-05-2012 | 60/10-09-2013 |
| 9. | कृषक ऊर्जा वि. स्वा. सहकारी मर्या., भटवाडी | 44/24-09-2003 | 60/10-09-2013 |
| 10. | जय माँ नर्मदा स्वा. सहकारी मर्या., रहलवाडा | 63/30-04-2005 | 60/10-09-2013 |

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 क्रमांक 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्थाओं के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की दिनांक से दो (02) माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्थाओं की लेखा पुस्तिकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

**एन. एल. कुशवाहा,**
परिसमापक/उप-अंकेक्षक.

(467)

## कार्यालय सहायक आयुक्त सहकारिता ( अंकेक्षण ), होशंगाबाद

होशंगाबाद, दिनांक 15 मई, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र./अंके.-02/2014/181.—उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्नांकित समितियों को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत संस्थाओं के नाम के सम्मुख दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है :—

| क्रमांक | नाम संस्था | पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक | परिसमापक आदेश क्रमांक व दिनांक |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | बालाजी बीज क्रय-विक्रय सहकारी समिति, सुखतवा | 3032/30-06-2009 | 687/29-03-2014 |
| 2. | बीज पौध क्रय-विक्रय सहकारी समिति, पालाखेड़ी | 2944/12-09-2007 | 688/29-03-2014 |
| 3. | दुग्ध उत्पादक क्रय-विक्रय सहकारी समिति, सुपरली | 2842/28-05-2005 | 689/29-03-2014 |
| 4. | प्रगति साख सहकारिता मर्या., श्यामदा | 61/06-04-2005 | 1059/10-09-2013 |
| 5. | दर्शन सहकारिता विपणन सहकारी समिति मर्या., इटारसी | 88/21-02-2007 | 1059/10-09-2013 |
| 6. | वैद्य मत्स्य सहकारिता सहकारी समिति मर्या., रानीपुर | 02/04-02-2002 | 1059/10-09-2013 |
| 7. | माइग्रेन फिशर मेन मत्स्य सहकारी समिति मर्या., रानीपुर | 03/04-02-2002 | 1059/10-09-2013 |
| 8. | बालाजी यातायात सहकारिता सहकारी समिति मर्या., इटारसी | 06/26-03-2002 | 1059/10-09-2013 |

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 क्रमांक 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्थाओं के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की दिनांक से दो (02) माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्थाओं की लेखा पुस्तिकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

**जी. पी. दीवान,**
परिसमापक/उप-अंकेक्षक.

(468)

## कार्यालय सहायक आयुक्त सहकारिता ( अंकेक्षण ), होशंगाबाद

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्नांकित समितियों को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत संस्थाओं के नाम के सम्मुख दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है :—

| क्रमांक | नाम संस्था | पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक | परिसमापक आदेश क्रमांक व दिनांक |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | उद्वहन सिंचाई सहकारी समिति, मर्या., टेकापार | 2661/19-06-1998 | 11-07-2013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 2. | स्टेट बैंक कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., इटारसी | 30/30-01-1970 | 11-07-2013 |
| 3. | यश स्वायत्त साख संस्था, इटारसी | 52/21-04-2004 | 1064/10-09-2013 |
| 4. | भारती स्वायत्त साख संस्था, इटारसी | 55/06-08-2004 | 1064/10-09-2013 |
| 5. | इंडोसेव स्वायत्त साख संस्था, इटारसी | 70/29-10-2005 | 1064/10-09-2013 |
| 6. | जय मां कालिका स्वायत्त साख, निटाया | 93/30-08-2007 | 1064/10-09-2013 |
| 7. | मां गायत्री स्वायत्त साख संस्था, इटारसी | 28/21-02-2003 | 1064/10-09-2013 |
| 8. | आस्था स्वायत्त साख संस्था, इटारसी | 29/21-02-2003 | 1064/10-09-2013 |
| 9. | दुग्ध उत्पादक सहकारी स. मर्या., गोचींतरौदा | 2844/28-05-2008 | 681/29-03-2014 |
| 10. | जय भवानी ईंधन आपूर्ति सह. स. इटारसी | 2929/23-05-2007 | 680/29-03-2014 |
| 11. | श्री कृष्ण सुदर्शन प्राथमिक उपभोक्ता भंडार, इटारसी | 2546/22-01-1996 | 679/29-03-2014 |
| 12. | जय सांई बाबा प्राथमिक उपभोक्ता भंडार, इटारसी | 2432/16-09-1994 | 678/29-03-2014 |

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 क्रमांक 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्थाओं के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की दिनांक से दो (02) माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्थाओं की लेखा पुस्तिकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

**विनिता चौधरी,**
परिसमापक/सह. निरीक्षक.

(469)

## कार्यालय परिसमापक एवं वरि. सहकारी निरीक्षक, बीज उत्पादक एवं क्रय-विक्रय सहकारी समिति, जिला होशंगाबाद

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी हेतु यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला होशंगाबाद द्वारा निम्न सहकारी समितियों को उनके सम्मुख दर्शाये कार्यालयीन आदेश अनुसार परिसमापन में लाया जाकर अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है :—

| क्रमांक (1) | समिति का नाम (2) | परिसमापन में लाये जाने का आदेश क्रमांक (3) | पंजीयन क्रमांक व दिनांक (4) |
|---|---|---|---|
| 1. | मंगला पौध बीज क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., केसलाखुर्द | क्र./परि./2014/685/29-03-2014 | 2950/05-01-2008 |
| 2. | श्री नारायण बीज क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., ढाबाकलां | क्र./परि./2014/787/29-03-2014 | 2956/15-04-2008 |
| 3. | उन्नत बीज उत्पादक सह. समिति, होशंगाबाद | क्र./परि./2014/756/29-03-2014 | 2070/09-10-1974 |
| 4. | महादेव बीज क्रय-विक्रय सह. समिति, भट्टी | क्र./परि./2014/758/29-03-2014 | 2953/15-04-2008 |

अत: मैं, किशोर पाराशर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक, सहकारी समितियां, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 (17वां) सन् 1961 की धारा-71 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1962 के नियम क्रमांक 57 (ग)सी के अनुसार यह सूचना प्रकाशित करता हूं कि उक्त समितियों के विरुद्ध जो भी लेनदारी एवं ऋण देना बकाया निकलता हो, प्रमाण सहित अपने दावे यदि कोई हों तो इस सूचना के प्रसारण के दो माह की अवधि में मेरे समक्ष, मेरे कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें.

उक्त अवधि के पश्चात् प्रस्तुत दावों पर कोई उजरदारी मान्य नहीं होगी एवं संस्थाओं के उपलब्ध लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त लेनदारी एवं दायित्वों को उक्त उल्लेखित विधान एवं नियमों के अन्तर्गत परिसमापक को विधिवत् प्रस्तुत किया गया ऐसा समझा जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि उपरोक्त लिखित सहकारी समितियों से सम्बन्धित कोई भी कागजात, सामान, देनदारियां आदि किसी भी व्यक्ति के पास हो तो, वे इस सूचना प्रकाशित होने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर उल्लेखित कार्यालय में मेरे पास जमा कर देवें. समयावधि के भीतर कागजात व सामान जमा न करने पर वे जुर्म के भागीदार होंगे.

(470)

**किशोर पाराशर,**
परिसमापक एवं वरिष्ठ सह. निरीक्षक.

---

## कार्यालय परिसमापक एवं वरि. सहकारी निरीक्षक, सहकारी समिति, जिला होशंगाबाद

[मध्यप्रदेश सहकारी समिति नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी हेतु यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला होशंगाबाद द्वारा निम्न सहकारी समितियों को उनके सम्मुख दर्शाये कार्यालयीन आदेश अनुसार परिसमापन में लाया जाकर अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है :—

| क्रमांक (1) | समिति का नाम (2) | परिसमापन में लाये जाने का आदेश क्रमांक (3) | पंजीयन क्रमांक व दिनांक (4) |
|---|---|---|---|
| 1. | दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पिपरिया कलां | क्र./परि./2014/692/29-03-2014 | 2898/09-11-2000 |
| 2. | पलकमति क्रय-विक्रय सह. समि. मर्या., सोहागपुर | क्र./परि./2014/691/29-03-2014 | 3036/04-07-2009 |
| 3. | महालक्ष्मी क्रय-विक्रय सह. समिति, सोहागपुर | क्र./परि./2014/696/29-03-2014 | 3017/22-12-2008 |
| 4. | सुभाष चन्द्र बोस प्राथ. उपभोक्ता सह. भंडार मर्या. पिपरिया | क्र./परि./2014/690/29-03-2014 | 2762/01-06-2002 |

अत: मैं, संतोष कुमार कतिया, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक, सहकारी समितियां, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 (17वां) सन् 1961 की धारा-71 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1962 के नियम क्रमांक 57 (ग) सी के अनुसार यह सूचना प्रकाशित करता हूं कि उक्त समितियों के विरुद्ध जो भी लेनदारी एवं ऋण देना बकाया निकलता हो, प्रमाण सहित अपने दावे यदि कोई हों तो इस सूचना के प्रसारण के दो माह की अवधि में मेरे समक्ष, मेरे कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि के पश्चात् प्रस्तुत दावों पर कोई उजरदारी मान्य नहीं होगी एवं संस्थाओं के उपलब्ध लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त लेनदारी एवं दायित्वों को उक्त उल्लेखित विधान एवं नियमों के अन्तर्गत परिसमापक को विधिवत् प्रस्तुत किया गया ऐसा समझा जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि उपरोक्त लिखित सहकारी समितियों से सम्बन्धित कोई भी कागजात, सामान, देनदारियां आदि किसी भी व्यक्ति के पास हो तो, वे इस सूचना प्रकाशित होने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर उल्लेखित कार्यालय में मेरे पास जमा कर देवें. समयावधि के भीतर कागजात व सामान जमा न करने पर वे जुर्म के भागीदार होंगे.

**संतोष कुमार कतिया,**
परिसमापक एवं वरिष्ठ सह. निरीक्षक.

(471)

---

## कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

पर्यावरण मित्र सहकारी समिति मर्यादित, बालाघाट, पं. क्र. ए. आर./बीजीटी/525, दिनांक 29 मार्च, 1995 विकासखण्ड बालाघाट, तहसील बालाघाट, जिला बालाघाट को कार्यालयीन सूचना-पत्र क्रमांक/उपबा./परि./2013/242, बालाघाट, दिनांक 13 फरवरी, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर सूचना-पत्र में स्पष्ट निर्देश दिए

गए थे कि नियत समयावधि में अपना प्रति उत्तर/अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. संस्था अध्यक्ष द्वारा दिनांक 14 मार्च, 2013 को कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर कार्यालय में प्रस्तुत किया गया. प्रतिउत्तर का परीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु कार्यालय द्वारा पूर्व जांच अधिकारी श्रीमती प्रतिभा सरेआम, व.स.नि. को पत्र क्र./उपबा./परि./2013/560, दिनांक 24 अप्रैल, 2013 जारी किया गया. जांच अधिकारी द्वारा परीक्षण उपरान्त प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया.

प्रतिवेदन में जांच अधिकारी द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र एवं प्रतिउत्तर का बिन्दुवार परीक्षण कर आरोप क्र. 1 के तहत लेख किया गया है कि संस्था में पंजीयन दिनांक को 23 सदस्य थे एवं आज भी 23 सदस्य हैं जबकि अध्यक्ष द्वारा 24 सदस्य होने का उल्लेख किया गया है. अंश प्रमाण-पत्र या संबंध में अन्य कोई दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं कराये गए. संस्था के वर्ष 2011-12 के अंकेक्षण टीप में भी 23 सदस्य व अंशपूजी 11500.00 रुपये ही अंकित है. जवाब संतोषजनक नहीं है.

आरोप क्र. 2 के तहत लेख किया गया है कि उक्त कथन के संबंध में कोई वैधानिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया. संस्था को वनमंडलाधिकारी सामाजिक वानिकी वनमंडल, बालाघाट की अनुशंसा के आधार पर ग्राम गोंगलई प. ह. न. 19 के खसरा नं. 302/1 रकबा 23 हेक्टेयर में सहकारिता के माध्य से प्रस्तावित कार्य किए जाने एवं उक्त जमीन के आधार पर बनाये गये प्रोजेक्ट के आधार पर ही संस्था का पंजीयन किया गया था, परन्तु 19 वर्षों के बाद भी संस्था द्वारा उद्देश्यानुसार कार्य नहीं किया जाना उदासीनता का परिचायक है. अध्यक्ष की निजी आधा एकड़ जमीन को समिति को दान बताकर नि:शुल्क नर्सरी पौधारोपण दिखाया जा रहा है ताकि वास्तविक स्थिति सामने न आए व समिति की कार्यशीलता का भ्रम बना रहे. वर्ष 2011-12 की अंकेक्षण टीप अनुसार भी संस्था विधिसंगत कार्य नहीं कर रही है. उत्तर संतोषजनक नहीं है.

आरोप क्र. 3 के तहत लेख किया गया है कि संबंध में संस्था द्वारा कोई प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है.

इस प्रकार प्रस्तुत प्रतिउत्तर के समाधान कारक न होने से संस्था को परिसमापन में लाये जाने को उचित ठहराया गया है.

कार्यालय द्वारा प्रस्तुत संस्था अध्यक्ष का प्रतिउत्तर एवं जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का परीक्षण किया गया जिसमें आरोप क्र. 1 के तहत पाया गया कि संस्था में सदस्यों की संख्या पंजीयन के समय 23 थी जो वर्तमान में भी 23 है संलग्न अंकेक्षित अंकेक्षण टीप वर्ष 2011-12 में भी सदस्य संख्या 23 होना व 500.00 रुपये प्रति सदस्य के हिसाब से हिस्सा पूंजी 11500.00 रुपये होना पाया गया है जो उक्त तथ्य की पुष्टि करता है संस्था अध्यक्ष द्वारा प्रतिउत्तर में सदस्य संख्या 24 बताया जाना गलत पाया गया है. संस्था द्वारा सदस्य संख्या में कोई वृद्धि नहीं किए जाने की बात प्रमाणित होती है.

आरोप क्र. 2 के परीक्षण में पाया गया कि संस्था के पंजीयन आदेश में छ: माह में भूमि आवंटन कराकर कार्य प्रारम्भ करने अन्यथा संस्था का पंजीयन निरस्त किए जाने के स्पष्ट निर्देश दिए गए थे, परन्तु संस्था के पंजीयन के 19 वर्ष बीतने के बाद भी संस्था द्वारा उपविधी 3 (3) अनुसार संस्था के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत राजस्व या वनक्षेत्र की भूमि को लीज पर लेने या भूमि खरीद कर संस्था के उद्देश्यानुसार वृक्षारोपण, चारा उत्पादन या अन्य कार्य नहीं किया गया है. प्रतिवेदन के साथ संलग्न वर्ष 2011-12 के अंकेक्षित, अंकेक्षण टीप व वित्तीय पत्रकों में भी समिति के उद्देश्यानुसार विकास कार्य किए जाने का कोई उल्लेख नहीं है जो संस्था द्वारा कोई कार्य नहीं किए जाने के तथ्य को और पुष्ट करता है. संलग्न वनमंडलाधिकारी सामाजिक वानिकी वनमंडल, बालाघाट द्वारा अपने पत्र ज्ञाप क्र./व्यय आ./278, बालाघाट दिनांक 19 फरवरी, 1995 में ग्राम गोंगलई प. ह. नं. 19 के खसरा नं. 302/1 रकबा 23 हेक्टेयर भूमि में संस्था द्वारा सहकारिता के माध्यम से वृक्षारोपण के कार्य के प्रोजेक्ट रिपोर्ट के परीक्षण के आधार पर ही कृषि वानिकी को बढ़ावा देने हेतु पंजीयन की अनुशंसा की गयी थी जो असफल साबित हुई है. संस्था द्वारा भूमि दान में प्राप्त किए जाने का संस्था की उपविधियों में कोई उल्लेख नहीं है. न ही भूमि दान किए जाने के संबंध में कोई वैधानिक दस्तावेज ही उपलब्ध कराये गये हैं. जांच अधिकारी द्वारा भी दी गयी जानकारी को भ्रामक व अवास्तविक बताया गया है. अत: पंजीयन के 19 वर्षों के बाद भी संस्था द्वारा कोई कार्य नहीं किए जाने की बात प्रमाणित होती है.

आरोप क्र. 3 के तहत मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-32 (2) में वर्णित प्रावधान के अनुसार समिति अपना नाम अपने रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता और शब्द मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 के अधीन पंजीकृत सुवाच्य अक्षरों में सहज दर्शनीय स्थान पर प्रदर्शित करेगी, के संबंध में संस्था अध्यक्ष द्वारा स्वयं अपने प्रतिउत्तर में कहा गया है कि उक्त का पालन किया गया है, परन्तु जब जांच अधिकारी जांच के लिए उपस्थित हुए तब डिस्पेंसरी में काम चलने के कारण अंदर कारीडोर में लगा था, जो बाहर से दिखता था बाद में यथायोग्य स्थान में लगा दिया गया है कथन संदेहात्मक है और इसी तथ्य को प्रकट करता है कि उक्त प्रदर्शन सहज दर्शनीय स्थान पर नहीं था. संस्था के पत्र व्यवहार, प्रतिउत्तर व वित्तीय पत्रकों में भी उक्त जानकारियों से संबंधित सील नहीं लगायी जा रही है. प्रतिउत्तर समाधान कारक प्रतीत नहीं होता.

अतः जांच अधिकारी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए संस्था अध्यक्ष के प्रतिउत्तर को समाधान कारक न मानते हुए मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं करने के कारण उसे अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही करने हेतु अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ./15-01-99-पंद्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं जी. एस. डहरिया, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट उक्त संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने का आदेश जारी करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, बालाघाट को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेश देता हूँ कि वे अपना अंतिम प्रतिवेदन दो माह की समयावधि में आवश्यक रूप से इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 02 जनवरी, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया है.

**जी. एस. डहरिया,**
उप-रजिस्ट्रार.

(472)

---

## कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 19 नवम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/2574.—इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्थाओं को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:-

| क्रमांक | संस्था का नाम | पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक |
|---|---|---|
| 1. | गजलक्ष्मी साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन | 1742/03-03-2010 |
| 2. | जिला सहकारी भूमि विकास बैंक कर्मचारी साख समिति मर्या., उज्जैन | AR/UJN/466/80/29-05-1960 |

कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब प्राप्त नहीं हुआ और न ही कोई भी उपस्थित हुआ. उपरोक्त संस्थाओं द्वारा उद्देश्यानुसार कार्य नहीं करना, स्पष्ट करता है कि संस्थाओं के पदाधिकारीगण संस्थाओं का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (ग) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्थाओं को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्थाओं के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:—

| क्रमांक | संस्था का नाम | पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक | परिसमापक का नाम व पद |
|---|---|---|---|
| 1. | गजलक्ष्मी साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन | 1742/03-03-2010 | श्री एम. के. गुप्ता, व. स. नि. |
| 2. | जिला सहकारी भूमि विकास बैंक कर्मचारी साख समिति मर्या., उज्जैन. | AR/UJN/466/80/29-05-1960 | श्री एम. के. गुप्ता, व. स. नि. |

यह आदेश आज दिनांक 19 नवम्बर, 2013 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(473)

उज्जैन, दिनांक 19 नवम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/2576.—इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्थाओं को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:-

| क्रमांक | संस्था का नाम | पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक |
|---|---|---|
| 1. | श्री सिन्थेटिक्स एम्पालाईज क्रेडिट को-आप. सोसा. मर्या., उज्जैन | 372/27-06-1974 |
| 2. | भारतीय साख सहकारी समिति मर्या., उज्जैन | 1083/17-06-1993 |

कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब प्राप्त नहीं हुआ और न ही कोई भी उपस्थित हुआ. उपरोक्त संस्थाएं अकार्यशील हैं एवं उद्देश्यानुसार कार्य नहीं करना, स्पष्ट करता है कि संस्थाओं के पदाधिकारीगण संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्थाओं को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्थाओं का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:—

| क्रमांक | संस्था का नाम | पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक | परिसमापक का नाम व पद |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री सिन्थेटिक्स एम्पालाईज क्रेडिट को-आप. सोसा. मर्या., उज्जैन. | 372/27-06-1974 | श्री एम. के. गुप्ता, व. स. नि. |
| 2. | भारतीय साख सहकारी समिति मर्या., उज्जैन | 1083/17-06-1993 | श्री एम. के. गुप्ता, व. स. नि. |

यह आदेश आज दिनांक 19 नवम्बर, 2013 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(473-A)

---

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्थाओं को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:-

| क्रमांक | संस्था का नाम | पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक |
|---|---|---|
| 1. | जय कालभैरव, वाल्मिकी सह. संस्था मर्या., घट्टिया, तह. उज्जैन | 1536/29-10-2000 |
| 2. | महाकाल रेलवे कान्ट्रेक्टर मर्या., उज्जैन | 1575/26-07-2001 |

कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब प्राप्त नहीं हुआ और न ही कोई भी उपस्थित हुआ. उपरोक्त संस्थाएं अकार्यशील हैं एवं उद्देश्यानुसार कार्य नहीं करना, स्पष्ट करता है कि संस्थाओं के पदाधिकारीगण संस्थाओं का संचालन करने में उदासीन हैं.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के

अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्थाओं को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्थाओं के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारियों को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्थाओं का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्थाओं के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:—

| क्रमांक | संस्था का नाम | पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक | परिसमापक का नाम व पद |
|---|---|---|---|
| 1. | जय कालभैरव, वाल्मिकी सह. संस्था मर्या., घट्टिया तह. उज्जैन. | 1536/29-10-2000 | श्री प्रमोद बड़ोनिया, व. स. नि. |
| 2. | महाकाल रेलवे कान्ट्रेक्टर मर्या., उज्जैन | 1575/26-07-2001 | श्री प्रमोद बड़ोनिया, व. स. नि. |

यह आदेश आज दिनांक 09 जुलाई, 2013 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(473-B)

---

उज्जैन, दिनांक 09 जुलाई, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/1524.—इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्थाओं को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:-

| क्रमांक | संस्था का नाम | पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक |
|---|---|---|
| 1. | अवंतिका बुनकर सह. संस्था मर्या., उज्जैन | 14/07-10-1997 |
| 2. | आदर्श पावर बुनकर सह. संस्था मर्या., उज्जैन | 764/25-02-1997 |
| 3. | प्राथमिक दलित उत्थान सेनेटरी मार्ट सह. संस्था, उज्जैन | 1556/24-04-2001 |
| 4. | वाल्मिकी सेनेटरी मार्ट सह. संस्था मर्या., उज्जैन | 1520/17-07-2002 |
| 5. | गुरूकृपा श्रमिक ठेका सह. संस्था मर्या., नागदा | 1709/14-09-2007 |
| 6. | चम्बल माँ श्रमिक ठेका एवं ईंट सह. संस्था मर्या., नागदा | 1733/09-10-2009 |
| 7. | श्री गणेश प्रिंन्टिग प्रेस सह. संस्था मर्या., उज्जैन | 1708/07-09-2007 |
| 8. | हरिओम वेयर हाउसिंग सह. संस्था मर्या., उज्जैन | 1574/13-07-2001 |
| 9. | पंडित दीनदयाल यातायात (परिवहन)सह. संस्था मर्या., उज्जैन | 1671/13-04-2005 |

कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब प्राप्त नहीं हुआ और न ही कोई भी उपस्थित हुआ. उपरोक्त संस्थाएं अकार्यशील हैं एवं उद्देश्यानुसार कार्य नहीं करना, स्पष्ट करता है कि संस्थाओं के पदाधिकारीगण संस्थाओं का संचालन करने में उदासीन हैं.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्थाओं को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्थाओं के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारियों को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्थाओं का सम्पूर्ण चार्ज

प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्थाओं के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:—

| क्रमांक | संस्था का नाम | पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक | परिसमापक का नाम व पद |
|---|---|---|---|
| 1. | अवंतिका बुनकर सह. संस्था मर्या., उज्जैन | 14/07-10-1997 | श्री समीर हरदास, उप. अंकेक्षक |
| 2. | आदर्श पावर बुनकर सह. संस्था मर्या., उज्जैन | 764/25-02-1997 | श्री समीर हरदास, उप. अंकेक्षक |
| 3. | प्राथमिक दलित उत्थान सेनेटरी मार्ट सह. संस्था, उज्जैन | 1556/24-04-2001 | श्री समीर हरदास, उप. अंकेक्षक |
| 4. | वाल्मिकी सेनेटरी मार्ट सह. संस्था मर्या., उज्जैन | 1520/17-07-2002 | श्री समीर हरदास, उप. अंकेक्षक |
| 5. | गुरूकृपा श्रमिक ठेका सह. संस्था मर्या., नागदा | 1709/14-09-2007 | श्री समीर हरदास, उप. अंकेक्षक |
| 6. | चम्बल माँ श्रमिक ठेका एवं ईंट सह. संस्था मर्या., नागदा | 1733/09-10-2009 | श्री समीर हरदास, उप. अंकेक्षक |
| 7. | श्री गणेश प्रिंन्टिग प्रेस सह. संस्था मर्या., उज्जैन | 1708/07-09-2007 | श्री समीर हरदास, उप. अंकेक्षक |
| 8. | हरिओम वेयर हाउसिंग सह. संस्था मर्या., उज्जैन | 1574/13-07-2001 | श्री राजेश शेर, उप. अंकेक्षक |
| 9. | पंडित दीनदयाल यातायात (परिवहन)सह. संस्था मर्या., उज्जैन | 1671/13-04-2005 | श्री राजेश शेर, उप. अंकेक्षक |

यह आदेश आज दिनांक 09 जुलाई, 2013 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(473-C)

---

उज्जैन, दिनांक 09 जुलाई, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/1524.—इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्थाओं को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:-

| क्रमांक | संस्था का नाम | पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक |
|---|---|---|
| 1. | तिलहन उत्पाद सह. संस्था मर्या., पिपल्यानाथ, तह. उज्जैन | 601/16-12-1982 |
| 2. | तिलहन उत्पादक सह. संस्था मर्या., जैथल, तह. उज्जैन | 542/11-06-1981 |
| 3. | तिलहन उत्पादक सह. संस्था मर्या., इंटावा, तह. उज्जैन | 1069/05-07-1982 |
| 4. | तिलहन उत्पादक सह. संस्था मर्या., पिपलोदा द्वारकाधिश, तह. उज्जैन | 1035/29-09-1992 |

कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब प्राप्त नहीं हुआ और न ही कोई भी उपस्थित हुआ. उपरोक्त संस्थाएं अकार्यशील हैं एवं उद्देश्यानुसार कार्य नहीं करना, स्पष्ट करता है कि संस्थाओं के पदाधिकारीगण संस्थाओं का संचालन करने में उदासीन हैं.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्थाओं को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्थाओं के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारियों को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्थाओं का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्थाओं के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:—

| क्रमांक | संस्था का नाम | पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक | परिसमापक का नाम व पद |
|---|---|---|---|
| 1. | तिलहन उत्पाद सह. संस्था मर्या., पिपल्यानाथ, तह. उज्जैन. | 601/16-12-1982 | श्री अभय निगम, उप. अंकेक्षक |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 2. | तिलहन उत्पादक सह. संस्था मर्या., जैथल, तह. उज्जैन. | 542/11-06-1981 | श्री अभय निगम, उप. अंकेक्षक |
| 3. | तिलहन उत्पादक सह. संस्था मर्या., इंटावा, तह. उज्जैन. | 1069/05-07-1982 | श्री अभय निगम, उप. अंकेक्षक |
| 4. | तिलहन उत्पादक सह. संस्था मर्या., पिपलोदा द्वारकाधिश, तह. उज्जैन. | 1035/29-09-1992 | श्री अभय निगम, उप. अंकेक्षक |

यह आदेश आज दिनांक 09 जुलाई, 2013 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(473-D)

---

उज्जैन, दिनांक 09 जुलाई, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/1524.—इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्थाओं को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:-

| क्रमांक | संस्था का नाम | पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक |
|---|---|---|
| 1. | फल साग-सब्जी, सह. संस्था मर्या., तराना, जिला उज्जैन | 893/29-03-1990 |
| 2. | ईशान फल, साग-सब्जी सह. संस्था मर्या., जैथल घट्टिया, जिला उज्जैन | 1560/09-05-2001 |
| 3. | माँ चामुण्डा फल साग-सब्जी विपणन एवं प्रक्रिया सह. संस्था मर्या., नागदा, तहसील खाचरोद, जिला उज्जैन. | 1501/27-03-1999 |
| 4. | माँ बीजासन कृषि उपज संग्रह विपणन सह. संस्था मर्या., इंदिरा नगर, उज्जैन | 1652/27-10-2004 |
| 5. | बिलकेशवर महादेव संतरा उत्पादन विपणन प्रक्रिया सह. संस्था मर्या., तराना, जिला उज्जैन. | 1711/06-02-2008 |
| 6. | श्री महाकाल कृषि उपज विपणन सह. संस्था मर्या., फ्रीगंज, उज्जैन | 1524/04-08-2000 |
| 7. | उज्जैनिया कृषि विपणन भंडारण प्रक्रिया सह. संस्था मर्या., उज्जैन | 1562/10-05-2001 |

कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब प्राप्त नहीं हुआ और न ही कोई भी उपस्थित हुआ. उपरोक्त संस्थाएं अकार्यशील हैं एवं उद्देश्यानुसार कार्य नहीं करना, स्पष्ट करता है कि संस्थाओं के पदाधिकारीगण संस्थाओं का संचालन करने में उदासीन हैं.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्थाओं को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्थाओं के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारियों को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्थाओं का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्थाओं के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:—

| क्रमांक | संस्था का नाम | पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक | परिसमापक का नाम व पद |
|---|---|---|---|
| 1. | फल साग-सब्जी, सह. संस्था मर्या., तराना, जिला उज्जैन | 893/29-03-1990 | श्री प्रमोद बड़ोनिया, व. स. नि. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 2. | ईशान फल, साग-सब्जी सह. संस्था मर्या., जैथल घट्टिया, जिला उज्जैन. | 1560/09-05-2001 | | श्री प्रमोद बड़ोनिया, व. स. नि. |
| 3. | माँ चामुण्डा फल साग-सब्जी विपणन एवं प्रक्रिया सह. संस्था मर्या., नागदा, तहसील खाचरोद, जिला उज्जैन. | 1501/27-03-1999 | | श्री प्रमोद बड़ोनिया, व. स. नि. |
| 4. | माँ बीजासन कृषि उपज संग्रह विपणन सह. संस्था मर्या., इंदिरा नगर, उज्जैन. | 1652/27-10-2004 | | श्री प्रमोद बड़ोनिया, व. स. नि. |
| 5. | बिलकेशवर महादेव संतरा उत्पादन विपणन प्रक्रिया सह. संस्था मर्या., तराना, जिला उज्जैन. | 1711/06-02-2008 | | श्री प्रमोद बड़ोनिया, व. स. नि. |
| 6. | श्री महाकाल कृषि उपज विपणन सह. संस्था मर्या., फ्रीगंज, उज्जैन. | 1524/04-08-2000 | | श्री प्रमोद बड़ोनिया, व. स. नि. |
| 7. | उज्जैनिया कृषि विपणन भंडारण प्रक्रिया सह. संस्था मर्या., उज्जैन. | 1562/10-05-2001 | | श्री प्रमोद बड़ोनिया, व. स. नि. |

यह आदेश आज दिनांक 09 जुलाई, 2013 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(473-E)

---

उज्जैन, दिनांक 09 जुलाई, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/1524.—इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्थाओं को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:-

| क्रमांक | संस्था का नाम | पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक |
|---|---|---|
| 1. | सर्वोदय मत्स्य सह. संस्था, मालीखेड़ी, तहसील नागदा | 1555/18-04-2001 |
| 2. | माँ कालिका मत्स्योद्योग सहकारी संस्था अब्दालपुरा, उज्जैन | 1446/11-03-1997 |
| 3. | जीतु मछली पालन स. सं. लेकोड़ा आंजना, तहसील नागदा, उज्जैन | 164/03-03-2005 |
| 4. | खुशबु मत्स्य पालन सहकारी संस्था अबोदिया, तहसील घटिया, जिला उज्जैन | 1672/21-04-2005 |
| 5. | चेतना हरिजन मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., साहिबखेड़ी, उज्जैन | 1436/04-11-1996 |
| 6. | मॉजी मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन | 376/27-08-1975 |

कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब प्राप्त नहीं हुआ और न ही कोई भी उपस्थित हुआ. उपरोक्त संस्थाएं अकार्यशील हैं एवं उद्देश्यानुसार कार्य नहीं करना, स्पष्ट करता है कि संस्थाओं के पदाधिकारीगण संस्थाओं का संचालन करने में उदासीन हैं.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्थाओं को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्थाओं के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारियों को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्थाओं का सम्पूर्ण चार्ज

प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्थाओं के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:—

| क्रमांक | संस्था का नाम | पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक | परिसमापक का नाम व पद |
|---|---|---|---|
| 1. | सर्वोदय मत्स्य सह. संस्था, मालीखेड़ी, तहसील नागदा | 1555/18-04-2001 | श्री अभय निगम, उप. अंकेक्षक |
| 2. | माँ कालिका मत्स्योद्योग सहकारी संस्था अब्दालपुरा, उज्जैन. | 1446/11-03-1997 | श्री अभय निगम, उप. अंकेक्षक |
| 3. | जीतु मछली पालन स. सं. लेकोड़ा आंजना, तहसील नागदा, उज्जैन. | 164/03-03-2005 | श्री अभय निगम, उप. अंकेक्षक |
| 4. | खुशबु मत्स्य पालन सहकारी संस्था अबोदिया, तहसील घटिया, जिला उज्जैन. | 1672/21-04-2005 | श्री अभय निगम, उप. अंकेक्षक |
| 5. | चेतना हरिजन मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., साहिबखेड़ी, उज्जैन. | 1436/04-11-1996 | श्री अभय निगम, उप. अंकेक्षक |
| 6. | मॉजी मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन | 376/27-08-1975 | श्री अभय निगम, उप. अंकेक्षक |

यह आदेश आज दिनांक 09 जुलाई, 2013 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(473-F)

---

उज्जैन, दिनांक 09 जुलाई, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/1524.—इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्थाओं को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:-

| क्रमांक | संस्था का नाम | पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक |
|---|---|---|
| 1. | ऋण मुक्तेश्वर वनखेतीहर सह. संस्था मर्या., गोन्सा (भेरूगढ़), उज्जैन | 1676/10-06-2005 |
| 2. | वनखेतीहर सहकारी संस्था मर्या., बुरानाबाद (पंचलासी) | 387/25-03-1995 |
| 3. | नाकोड़ा वनखेतीहर सहकारी संस्था मर्या., झारडा, तहसील महिदपुर | 396/22-05-1995 |

कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब प्राप्त नहीं हुआ और न ही कोई भी उपस्थित हुआ. उपरोक्त संस्थाएं अकार्यशील हैं एवं उद्देश्यानुसार कार्य नहीं करना, स्पष्ट करता है कि संस्थाओं के पदाधिकारीगण संस्थाओं का संचालन करने में उदासीन हैं.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्थाओं को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्थाओं के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारियों को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्थाओं का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्थाओं की आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:—

| क्रमांक | संस्था का नाम | पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक | परिसमापक का नाम व पद |
|---|---|---|---|
| 1. | ऋण मुक्तेश्वर वनखेतीहर सह. संस्था मर्या., गोन्सा (भेरूगढ़), उज्जैन. | 1676/10-06-2005 | श्री राजेश शेर, उप. अंकेक्षक |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 2. | वनखेतीहर सहकारी संस्था मर्या., बुरानाबाद (पंचलासी) | 387/25-03-1995 | श्री राजेश शेर, उप. अंकेक्षक |
| 3. | नाकोड़ा वनखेतीहर सहकारी संस्था मर्या., झारडा, तहसील महिदपुर. | 396/22-05-1995 | श्री राजेश शेर, उप. अंकेक्षक |

यह आदेश आज दिनांक 09 जुलाई, 2013 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

**मनोज जायसवाल,**

(473-G) उप-पंजीयक.

## कार्यालय परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 17 जुलाई, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन के आदेशानुसार मुझे निम्नलिखत सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

| क्रमांक | संस्था का नाम | पंजीयन क्रमांक व दिनांक | परिसमापक नियुक्ति क्रमांक एवं दिनांक | परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक एवं दिनांक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पिपल्यानाथ, तहसील महिदपुर. | 601/16-12-1982 | 1524/09-07-2013 | 1524/09-07-2013 |
| 2. | तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जैथल | 542/11-06-1981 | 1524/09-07-2013 | 1524/09-07-2013 |
| 3. | तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ईटावा | 1069/05-07-1982 | 1524/09-07-2013 | 1524/09-07-2013 |
| 4. | तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पिपलौदा द्वारकाधीश. | 1035/29-09-1992 | 1524/09-07-2013 | 1524/09-07-2013 |
| 5. | सर्वोदय मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., मालीखेड़ी, तहसील नागदा. | 1555/18-04-2001 | 1524/09-07-2013 | 1524/09-07-2013 |
| 6. | माँ कालिका मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., अब्दालपुरा उज्जैन. | 1446/11-03-1997 | 1524/09-07-2013 | 1524/09-07-2013 |
| 7. | जीतु मछली पालन सहकारी संस्था मर्या., लेकोड़ा आंजना, तहसील नागदा. | 1664/03-03-2005 | 1524/09-07-2013 | 1524/09-07-2013 |
| 8. | खुशबु मत्स्य पालन सहकारी संस्था मर्या., अम्बोदिया, तहसील घट्टिया. | 1672/21-04-2005 | 1524/09-07-2013 | 1524/09-07-2013 |
| 9. | चेतना हरिजन मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., साहिबखेड़ी, तहसील उज्जैन. | 1436/04-11-1996 | 1524/09-07-2013 | 1524/09-07-2013 |
| 10. | मॉझी मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन | 376/27-08-1975 | 1524/09-07-2013 | 1524/09-07-2013 |

अत: मैं, अभय निगम, उप-अंकेक्षक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति/संस्था का कोई लेना-देना शेष हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे/आपत्ति प्रमाण सहित मुझे कार्यालय

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे/आपत्ति या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार की कार्यवाही की जाकर उक्त संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जावेंगे.

यह भी सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति/सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखा पुस्तकें, रोकड़ चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान अथवा रिकॉर्ड आदि हो तो इस सूचना के प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर मुझे प्रस्तुत करके रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति का उपरोक्त रिकार्ड होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 17 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी.

**अभय निगम,**

(474) परिसमापक एवं उप अंकेक्षक.

---

## कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 18 जुलाई, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक/परि./2013/1507, उज्जैन, दिनांक 05 जुलाई, 2013 एवं आदेश क्रमांक/परि./2013/1524, उज्जैन, दिनांक 09 जुलाई, 2013 के द्वारा मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया है:-

| क्रमांक | संस्था का नाम | पंजीयन क्रमांक व दिनांक | परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | सिन्धू परस्पर साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन | 1440/25-12-1996 | 1507/05-07-2013 |
| 2. | सहयोगी मर्केन्टाईल क्रेडिट सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन | 1471/23-12-1997 | 1507/05-07-2013 |
| 3. | उज्जैनी साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन | 1467/29-09-1997 | 1507/05-07-2013 |
| 4. | गुजरात मर्केन्टाईल सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन | 1482/23-05-1998 | 1507/05-07-2013 |
| 5. | लक्ष्मी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., गुणावद | 1667/23-03-2005 | 1524/09-07-2013 |
| 6. | मिलन महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., नागझिरी (नागदा) | 1621/30-12-2003 | 1524/09-07-2013 |
| 7. | माँ बगुलामुखी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., पगारा | 1633/10-02-2004 | 1524/09-07-2013 |
| 8. | माँ सतेश्वरी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., रत्लाखेडरी | 1657/18-02-2005 | 1524/09-07-2013 |
| 9. | श्री पद्मावती महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., धूमाहेड़ा | 1626/05-02-2004 | 1524/09-07-2013 |
| 10. | मारूती महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., ढाबलाहर्दू | 1741/03-03-2010 | 1524/09-07-2013 |
| 11. | गिरिजा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., झांझाखेड़ी | 1644/04-03-2004 | 1524/09-07-2013 |
| 12. | लाल माता महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., खोकरी | 1634/10-02-2004 | 1524/09-07-2013 |
| 13. | जय माँ भवानी महिला बहुउद्देशीय प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्या., बरखेड़ानजीक, तहसील नागदा. | 1682/10-02-2006 | 1524/09-07-2013 |
| 14. | हरिजन बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., बड़नगर | 38/07-02-1951 | 1524/09-07-2013 |

अत: मैं, संतोष सॉकलिया, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए सूचना-पत्र प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध किसी का भी कोई लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे, प्रमाण सहित

मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार की कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास इन समितियों के सदस्यों या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इन समितियों की कोई लेखा पुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान तथा रिकॉर्ड आदि हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर उक्त वर्णित कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इन समितियों की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 18 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी.

**संतोष सॉकलिया,**

(475) परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

## कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्र. 448, दिनांक 18 अक्टूबर, 2010 के द्वारा शहीद चन्दशेखर आजाद बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., भाबरा, तहसील भाबरा, जिला अलीराजपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1000, दिनांक 29 मार्च, 2006 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री कमलसिंह गार्डे, वरि. सह. निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, अम्बरीष वैद्य, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 25 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

**अम्बरीष वैद्य,**

(476) उप-पंजीयक.

## कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर

दिनांक 24 मार्च, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (1) सी/ग के अन्तर्गत]

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, ज़िला अलीराजपुर के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

| क्र. | नाम संस्था | पंजीयन क्रमांक व दिनांक | परिसमापक नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | रेत खदान सहकारी संस्था मर्या., राजावाट | 735/14-12-1992 | 445/18-10-2012 |
| 2. | निराताडगुड सहकारी संस्था मर्या., अलीराजपुर | 830/07-11-1958 | 427/16-09-2010 |

अतः मैं, ओ. पी. यादव, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1) सी/ग के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों/सदस्यों को सूचित करता हूँ कि जिस किसी के पास

संस्थाओं के दावे, आपत्तियां या रिकॉर्ड या राशि लेनदारी/देनदारी शेष हो तो वे सूचना-पत्र के जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर (60 दिवस के अन्दर) मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर (उमराली रोड, एस. पी. कार्यालय के सामने) में उपस्थित होकर प्रमाण सहित लिखित में प्रस्तुत करें. उक्त समयावधि पश्चात् दावे, आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया जावेगा. यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्थाओं के भूतपूर्व या वर्तमान कर्मचारी/सदस्य के पास संस्था का कोई भी रिकार्ड/परिसम्पत्ति/नगदी हो तो उसे उक्त अवधि में मेरे पास जमा करा देवें अन्यथा उनके विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी.

**ओ. पी. यादव,**
परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

(477)

## कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर

दिनांक 11 मार्च, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (1) सी/ग के अन्तर्गत]

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

| क्र. | नाम संस्था | पंजीयन क्रमांक व दिनांक | परिसमापक नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | माँ अम्बिका महिला औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या., पलासदा | 1034/28-02-2009 | 451/18-10-2012 |
| 2. | बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., बलेडी | 349/25-02-1965 | 463/18-10-2012 |

अत: मैं, व्हाय. एस. वाघेला, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1) सी/ग के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों/सदस्यों को सूचित करता हूँ कि जिस किसी के पास संस्थाओं के दावे, आपत्तियां या रिकॉर्ड या राशि लेनदारी/देनदारी शेष हो तो वे सूचना-पत्र के जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर (60 दिवस के अन्दर) मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर (उमराली रोड, एस. पी. कार्यालय के सामने) में उपस्थित होकर प्रमाण सहित लिखित में प्रस्तुत करें. उक्त समयावधि पश्चात् दावे, आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा संस्थाओं के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया जावेगा. यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्थाओं के भूतपूर्व या वर्तमान कर्मचारी/सदस्य के पास संस्थाओं का कोई भी रिकार्ड/परिसम्पत्ति/नगदी हो तो उसे उक्त अवधि में मेरे पास जमा करा देवें अन्यथा उनके विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी.

**व्हाय. एस. वाघेला,**
परिसमापक व सहकारी निरीक्षक.

(478)

## कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सागर

सागर, दिनांक 29 मार्च, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/388.—अनुसूचित जाति महिला बरी, पापड़ उद्योग सहकारी समिति मर्या., गौरनगर सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 702, दिनांक 12 अगस्त, 1997 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/2804, दिनांक 12 सितम्बर, 2011 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री एच. के. मिश्रा, सहकारी निरीक्षक, सागर एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, संजय नायक, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, (मध्यप्रदेश) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुसूचित जाति महिला बरी, पापड़ उद्योग सहकारी समिति मर्या., गौरनगर सागर, विकासखण्ड सागर,

जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 702, दिनांक 12 अगस्त, 1997 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम-निकाय (बॉडी कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

**संजय नायक,**
उप-पंजीयक.

(478)

## कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ (व्यावरा)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

सर्व-साधारण एवं सदस्यों की जानकारी के लिये यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ के आदेश क्र./परि./2012/573/राजगढ़ , दिनांक 15 मार्च, 2012 के अनुसार निम्न सहकारी समिति जिनके आगे पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक व दिनांक दर्शाया गया है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाई गई है तथा धारा-70 (1) के तहत् मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

| क्र. | नाम सहकारी संस्था | पंजीयन क्रमांक/दिनांक | परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक |
|---|---|---|---|
| 1. | दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नीदनी | 1132/10-07-2009 | 661/09-07-2013 |

अत: मैं, के. एस. कमालिया, सी. व्ही. ई. ओ. एवं परिसमापक, कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-57 (सी) के अन्तर्गत सर्व-साधारण एवं संस्था सदस्यों की जानकारी के लिये सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्था के विरुद्ध जो लेना-देना निकल रहा हो, वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 60 दिवस (दो माह) के भीतर अपने दावे एवं स्वरूप प्रमाण सहित मुझे कार्यालय दुग्ध शीत केन्द्र राजगढ़, जिला राजगढ़ में प्रस्तुत करें, उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वरूप के सम्बन्ध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी उपलब्ध रिकार्ड (आडिट नोट) के अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व अधिकारियों/पदाधिकारीयों के पास इन समितियों के सम्बन्ध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकार्ड एवं अन्य सामान हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 (पन्द्रह) दिवस के अन्दर मेरे कार्यालय में जमा कर दें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास उपरोक्त समिति का रिकार्ड होने की जानकारी मिली या सिद्ध हुई तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी एवं सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित व्यक्ति की होगी.

आज दिनांक 05 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(480)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

सर्व-साधारण एवं सदस्यों की जानकारी के लिये यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ के अनुसार निम्न सहकारी समितियों जिनके आगे पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक व दिनांक दर्शाया गया है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाई गई हैं तथा धारा-70 (1) के तहत् मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

| क्र. | नाम सहकारी संस्थाएं | पंजीयन क्रमांक/दिनांक | परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक |
|---|---|---|---|
| 1. | दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., घोघटपुर | 464/20-12-1989 | 658/09-07-2013 |
| 2. | दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भगौरा | 702/24-05-2001 | 656/09-07-2013 |
| 3. | दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चमारखेड़ा | 890/22-09-2003 | 657/09-07-2013 |

अत: मैं, के. एल. कमालिया, सी. व्ही. ई. ओ. एवं परिसमापक, कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-57 (सी) के अन्तर्गत सर्व-साधारण एवं संस्था सदस्यों की जानकारी के लिये सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध जो लेना-देना निकल रहा हो, वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 02 (दो) माह के भीतर अपने दावे एवं स्वरूप प्रमाण सहित मुझे कार्यालय दुग्ध शीत केन्द्र राजगढ़, जिला राजगढ़ में प्रस्तुत करें, उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वरूप के सम्बन्ध में बाद में कोई

सुनवाई नहीं होगी, उपलब्ध रिकार्ड (ऑडिट नोट) के अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं का पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व अधिकारियों/पदाधिकारीयों के पास इन समितियों के सम्बन्ध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकार्ड एवं अन्य सामान हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 (पन्द्रह) दिवस के अन्दर मेरे कार्यालय में जमा कर दें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के रिकार्ड होने की जानकारी मिली या सिद्ध हुई तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी एवं सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित व्यक्ति की होगी.

आज दिनांक 05 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(480-A)

---

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

सर्व-साधारण एवं सदस्यों की जानकारी के लिये यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ के अनुसार निम्न सहकारी समितियों जिनके आगे पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक व दिनांक दर्शाया गया है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाई गई हैं तथा धारा-70 (1) के तहत् मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

| क्र. | नाम सहकारी संस्थाएं | पंजीयन क्रमांक/दिनांक | परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक |
|---|---|---|---|
| 1. | दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सिरपोई | 108/27-06-2008 | 652/09-07-2013 |
| 2. | दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भंडावद | 938/14-06-2004 | 653/09-07-2013 |
| 3. | दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., वालाहेडा | 929/28-04-2004 | 654/09-07-2013 |

अत: मैं, के. एल. कमालिया, सी. व्ही. ई. ओ. एवं परिसमापक, कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-57 (सी) के अन्तर्गत सर्व-साधारण एवं संस्था सदस्यों की जानकारी के लिये सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध जो लेना-देना निकल रहा हो, वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 02 (दो) माह के भीतर अपने दावे एवं स्वरूप प्रमाण सहित मुझे कार्यालय दुग्ध शीत केन्द्र राजगढ़, जिला राजगढ़ में प्रस्तुत करें, उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वरूप के सम्बन्ध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी, उपलब्ध रिकार्ड (ऑडिट नोट) के अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं का पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व अधिकारियों/पदाधिकारीयों के पास इन समितियों के सम्बन्ध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकार्ड एवं अन्य सामान हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 (पन्द्रह) दिवस के अन्दर मेरे कार्यालय में जमा कर दें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के रिकार्ड होने की जानकारी मिली या सिद्ध हुई तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी एवं सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित व्यक्ति की होगी.

आज दिनांक 05 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

**के. एल. कमालिया,**
सी. व्ही.ई. ओ.

(480-B)

---

## कार्यालय परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1), (सी/ग) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

| क्रमांक | समिति का नाम | पंजीयन क्रमांक व दिनांक | परिसमापक का आदेश क्रमांक व दिनांक |
|---|---|---|---|
| 1. | तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था, सुहाया | 280/09-07-1987 | 1409/05-06-2013 |
| 2. | तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था, रतुआरतनपुर | 285/27-10-1987 | 1366/01-06-2013 |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 3. | गोपाल गृह निर्माण सहकारी संस्था, मर्या., भोपाल | 373/05-09-1983 | 4396/24-12-2012 |
| 4. | तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था, इस्लामनगर | 242/18-11-1985 | 487/15-02-2006 |

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्रमांक 57 (1), (सी/ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्थाओं के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण के लिए लिखितरूप से प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा, संस्थाओं की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

अतः आज दिनांक ..... को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

**विलीन खटावकर,**
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(481)

## कार्यालय परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1), (सी/ग) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

| क्रमांक | समिति का नाम | पंजीयन क्रमांक व दिनांक | परिसमापक का आदेश क्रमांक व दिनांक |
|---|---|---|---|
| 1. | युवा उद्यमी गृह निर्माण | 204/27-03-1981 | 847/28-03-2014 |
| 2. | स्मृति प्रियदर्शनी गृह निर्माण | 490/25-04-1986 | 847/28-03-2014 |
| 3. | राष्ट्रीय एकता महिला प्रा. उप. भण्डार मर्या., भो. | 635/14-07-1994 | 847/28-03-2014 |
| 4. | बाहुबलि गृह निर्माण सहकारी संस्था | 719/05-10-1996 | 841/28-03-2014 |

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1), (सी/ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्थाओं के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण के लिखितरूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. संस्थाओं की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

अतः आज दिनांक 12 मई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

**मीरा देवी,**
उप-अंकेक्षक.

(482)

## कार्यालय परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1), (सी/ग) के अन्तर्गत]

**( द्वितीय स्मरण-पत्र )**

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

| क्रमांक | समिति का नाम | पंजीयन क्रमांक व दिनांक | परिसमापक का आदेश क्रमांक व दिनांक |
|---|---|---|---|
| 1. | चाहत गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल | 659/04-08-1995 | 1700/28-06-2013 |
| 2. | श्री गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल | 746/30-05-1997 | 2067/16-08-2013 |

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्रमांक 57 (1), (सी/ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्थाओं के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण के लिए लिखितरूप से प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा, संस्थाओं की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

अत: आज दिनांक 09 मई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

**विनोद कुमार जैन,**

(483) परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

## कार्यालय परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1), (सी/ग) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

| क्रमांक | समिति का नाम | पंजीयन क्रमांक व दिनांक | परिसमापक का आदेश क्रमांक व दिनांक |
|---|---|---|---|
| 1. | जया गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल | 631/27-03-1995 | 2065/16-06-2013 |
| 2. | न्यू प्रिंस प्राथ. उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल | 605/06-07-1994 | 4049/20-10-2011 |

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1), (सी/ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्थाओं के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण के लिए लिखितरूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. संस्थाओं की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

अत: आज दिनांक.....को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

**वी. एम. सिंह,**

(484) परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

## कार्यालय परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1), (सी/ग) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

| क्रमांक | समिति का नाम | पंजीयन क्रमांक व दिनांक | परिसमापक का आदेश क्रमांक व दिनांक |
|---|---|---|---|
| 1. | पिंक गृह निर्माण संस्था | 519/04-10-1988 | 1263/23-05-2013 |
| 2. | पंजावी गृह निर्माण संस्था | 7712/02-03-1959 | 1701/28-06-2013 |
| 3. | तिलहन उत्पादक संस्था, नसीरावाद | 279/08-07-1987 | 1410/05-06-2013 |
| 4. | तिलहन उत्पादक संस्था, वरखेडानाथू | 243/20-11-1985 | 1775/01-06-2013 |

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1), (सी/ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्थाओं के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण के लिए लिखितरूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. संस्थाओं की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

अत: आज दिनांक.....को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

**सुधाकर पाण्डेय,**
परिसमापक एवं उप अंकेक्षक.

(485)

## कार्यालय परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1), (सी/ग) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

| क्रमांक | समिति का नाम | पंजीयन क्रमांक व दिनांक | परिसमापक का आदेश क्रमांक व दिनांक |
|---|---|---|---|
| 1. | न्यू भोपाल गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल | डी. आर. बी./510/21-01-1987 | 1698/28-06-2013 |
| 2. | विधान नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल | डी. आर. बी./584/08-08-1995 | 1253/23-05-2013 |
| 3. | अमूल्य गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल | डी. आर. बी./737/17-04-1997 | 1254/23-05-2013 |
| 4. | स्वामी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल | डी. आर. बी./738/24-04-1997 | 2225/26-06-2012 |

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1), (सी/ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्थाओं के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण के लिए लिखितरूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. संस्थाओं की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

अत: आज दिनांक.....को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

**आर. के. खत्री,**
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(486)

## कार्यालय परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1), (सी/ग) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सहकारी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

| क्रमांक | समिति का नाम | पंजीयन क्रमांक व दिनांक | परिसमापक का आदेश क्रमांक व दिनांक |
|---|---|---|---|
| 1. | वद्री नारायण गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल | 1130/30-12-2008 | 1695/28-06-2013 |

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1), (सी/ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा

सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण के लिए लिखितरूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

अत: आज दिनांक.....को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

**प्रमोद राय,**

(487) परिसमापक एवं उप अंकेक्षक.

## कार्यालय परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1), (सी/ग) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सहकारी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

| क्रमांक | समिति का नाम | पंजीयन क्रमांक व दिनांक | परिसमापक का आदेश क्रमांक व दिनांक |
|---|---|---|---|
| 1. | न्यू. ज्योति महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., भोपाल | 681/15-06-1994 | 4053/20-10-2011 |

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1), (सी/ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण के लिए लिखितरूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

अत: आज दिनांक.....को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

**के. सी. जैन,**

(488) परिसमापक एवं सह. निरीक्षक.

## कार्यालय परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1), (सी/ग) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

| क्रमांक | समिति का नाम | पंजीयन क्रमांक व दिनांक | परिसमापक का आदेश क्रमांक व दिनांक |
|---|---|---|---|
| 1. | विराट गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल | 711/30-07-1996 | 2422/24-06-2011 |
| 2. | कामायनी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल | 326/21-03-1983 | 2434/24-06-2011 |
| 3. | मेल वेष्णव देवी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल | 458/08-08-1985 | 2442/24-06-2011 |

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1), (सी/ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्थाओं के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण के लिए लिखितरूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि

दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. संस्थाओं की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

अत: आज दिनांक.....को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

**प्रेम राज ढोके,**
परिसमापक एवं उप अंकेक्षक.

(489)

## कार्यालय परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1), (सी/ग) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

| क्रमांक | समिति का नाम | पंजीयन क्रमांक व दिनांक | परिसमापक का आदेश क्रमांक व दिनांक |
|---|---|---|---|
| 1. | प्रभात गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल | 30/02-11-1959 | 2060/16-08-2013 |
| 2. | एम. ई. एस. साख सहकारी संस्था मर्या., भोपाल | 39/27-07-1975 | 2073/16-08-2013 |

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1), (सी/ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्थाओं के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण के लिए लिखितरूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. संस्थाओं की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

अत: आज दिनांक..... को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

**सुनील अग्रवाल,**
परिसमापक एवं उप. अंकेक्षक.

(490)

## कार्यालय परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1), (सी/ग) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

| क्रमांक | समिति का नाम | पंजीयन क्रमांक व दिनांक | परिसमापक का आदेश क्रमांक व दिनांक |
|---|---|---|---|
| 1. | इन्जीनियर्स गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल | 220/30-06-1981 | 2694/15-07-2011 |
| 2. | भारत ट्रेवल्स को-आप. रेट्रिव्ह संस्था मर्या., भोपाल | 1497/16-03-1956 | 2074/16-08-2013 |
| 3. | रेल पुलिस कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल | 1129/22-12-2008 | 842/28-03-2014 |

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1), (सी/ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्थाओं के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण के लिए लिखितरूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. संस्थाओं की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

अत: आज दिनांक.....को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

**डी. के. गुप्ता,**
परिसमापक एवं उप अंकेक्षक.

(491)

## कार्यालय परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1), (सी/ग) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

| क्रमांक | समिति का नाम | पंजीयन क्रमांक व दिनांक | परिसमापक का आदेश क्रमांक व दिनांक |
|---|---|---|---|
| 1. | एस. बी. आई. कर्म. गृ. नि. सहकारी संस्था मर्या., भोपाल | 106/05-12-1962 | 840/28-03-2014 |
| 2. | अमन गृ. नि. सहकारी संस्था मर्या., भोपाल | 981/04-06-2004 | 853/28-03-2014 |
| 3. | नेहा गृ. नि. सहकारी संस्था मर्या., भोपाल | 657/01-08-1995 | 853/28-03-2014 |
| 4. | ओशी गृ. नि. सहकारी संस्था | 1138/23-07-2009 | 2066/16-08-2013 |
| 5. | उमंग महिला प्रा. उप. भण्डार | 632/13-07-1994 | 853/28-03-2014 |

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1), (सी/ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्थाओं के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण के लिए लिखितरूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. संस्थाओं की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

अत: आज दिनांक ..... को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

**अलका तिग्गा,**
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(492)

---

## कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बिछिया, जिला मण्डला

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें नियम 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, मण्डला के आदेशानुसार निम्न सहकारी समिति, जिसका पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक, दिनांक दर्शाया गया है जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई गई तथा धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

| क्रमांक | नाम सहकारी संस्थाएं | पंजीयन क्रमांक | परिसमापन आदेश क्रमांक | दिनांक |
|---|---|---|---|---|
| 1. | महिला रेशम सहकारी समिति मर्या., गुनेरा | 711 | क्र./सपमं/परि./13/675 A | 31-07-2013 |

अत: मैं, श्रीमती संध्या जाधव, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बिछिया, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रकाशित करती हूँ कि किसी व्यक्ति या संस्था का उक्त संस्था के विरुद्ध जो भी लेना-देना निकल रहा वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 2 माह के भीतर अपने दावे एवं स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय विकासखण्ड अधिकारी, विकासखण्ड बिछिया में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वत्व के सम्बन्ध में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति के सम्बन्ध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकार्ड, रोकड़ एवं अन्य सामान हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिन के अन्दर मेरे कार्यालय में जमा करा दें. अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास उपरोक्त समिति की वस्तुएं अभिलेख या सम्पत्ति होने की जानकारी मिली अथवा सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी.

**संध्या जाधव,**

(493) परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी.

---

## कार्यालय परिसमापक, दुग्ध उत्पादक, सहकारी समिति मर्या., नरसिंहपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, नरसिंहपुर के पत्र क्र. उरन/परिसमापन/10-11/57(B), दिनांक 28 जनवरी, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे निम्नलिखित दुग्ध समितियों का परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

| क्रमांक | नाम दुग्ध सहकारी समिति | पत्र क्रमांक/दिनांक | आदेश क्रमांक/दिनांक |
|---|---|---|---|
| 1. | प्राथमिक दुग्ध उत्पा. सहकारी संस्था मर्यादित, रमपुरा (तेंदूखेड़ा) पंजीयन क्रमांक 523. | परिसमापन/276 | 19-03-2013 |
| 2. | प्राथमिक दुग्ध उत्पा. सहकारी संस्था मर्यादित, पनारी, 538 | परिसमापन/276 | 19-03-2013 |
| 3. | प्राथमिक दुग्ध उत्पा. सहकारी संस्था मर्यादित, लिलवानी, 537. | परिसमापन/276 | 19-03-2013 |
| 4. | प्राथमिक दुग्ध उत्पा. सहकारी संस्था मर्यादित, कामती (पिठहरा) 548. | परिसमापन/276 | 19-03-2013 |
| 5. | प्राथमिक दुग्ध उत्पा. सहकारी संस्था मर्यादित, चिरिया, 542 | परिसमापन/276 | 19-03-2013 |
| 6. | प्राथमिक दुग्ध उत्पा. सहकारी संस्था मर्यादित,नांदनेर, 541 | परिसमापन/276 | 19-03-2013 |
| 7. | प्राथमिक दुग्ध उत्पा. सहकारी संस्था मर्यादित, लिंगा (पिप.) 558. | परिसमापन/276 | 19-03-2013 |

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के नियम, 1962 के नियम क्रमांक 57 के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्थाओं के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण-पत्र के यदि हो तो, मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा, संस्थाओं की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

आज दिनांक 01 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

**डी. के. शुक्ला,**

(494) परिसमापक एवं प्रबंधक.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2014.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 25 ] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 जून, 2014-ज्येष्ठ 30, शके 1936


## भाग 3 ( 2 )

### सांख्यिकीय सूचनाएं

**कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश**

**मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 19 फरवरी, 2014**

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में इस सप्ताह आकाश मेघाच्छादित रहा है तथा राज्य के निम्नलिखित जिलों में वर्षा का होना पाया गया है.

**( अ ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.**—तहसील ग्वालियर, डबरा, भितरवार, घाटीगांव (ग्वालियर), करैरा, कोलारस (शिवपुरी), गुना, राधौगढ़ (गुना), निवाड़ी, पृथ्वीपुर, जतारा, टीकमगढ़, पलेरा, ओरछा (टीकमगढ़), सिरमौर, मऊगंज, गुढ़, रायपुर-कर्चुलियान (रीवा), जेतहरी, अनूपपुर, कोतमा, पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर), बांधवगढ़, मानपुर (उमरिया), गोपदवनास, कुसमी, चुरहट, रामपुरनैकिन (सीधी), कुरवाई, बासौदा, नटेरन, विदिशा, ग्यारसपुर (विदिशा), गैरतगंज, बेगमगंज, सिलवानी (रायसेन), सीहोरा, पाटन, जबलपुर, मझौली, कुन्डम (जबलपुर), बिछिया, मण्डला, नारायणगंज (मण्डला) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

**( ब ) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.**—तहसील त्यौंथर, हनुमना, हजूर (रीवा), पाली (उमरिया), सिंहावल, मझौली (सीधी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. **जुताई.**—जिला श्योपुर, रीवा में जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. **बोनी.**—जिला श्योपुर, रीवा में बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. **फसल स्थिति.**—

5. **कटाई.**—जिला बैतूल में फसल गन्ना व हरदा में चना की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. **सिंचाई.**—जिला ग्वालियर, शहडोल, उमरिया में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. **पशुओं की स्थिति.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. **चारा.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. **बीज.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. **खेतिहर श्रमिक.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

**मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 19 फरवरी, 2014**

| जिला/तहसीलें | 1.सप्ताह में हुई वर्षा:-<br>(अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में<br>(ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक. | 2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:-<br>(अ) प्रारम्भिक जुताई पर.<br>(ब) बोनी पर.<br>(स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो.<br>(द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित.<br>(य) कटी हुई फसल पर. | 3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव.<br>4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :-<br>(1) फसल का क्षेत्रफल -<br>(अ) अधिक, समान या कम.<br>(ब) प्रतिशत.<br>(2) फसल की हालत-<br>(अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई.<br>(ब) प्रतिशत. | 5. सिंचाई के लिये पानी ( कम अथवा अधिक).<br>6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति. | 7. बीज की प्राप्ति.<br>8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ***जिला मुरैना :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. . . | 7. . . |
| 1. अम्बाह | . . | | 4. (1) . . | 6. . . | 8. . . |
| 2. पोरसा | . . | | (2) . . | | |
| 3. मुरैना | . . | | | | |
| 4. जौरा | . . | | | | |
| 5. सबलगढ़ | . . | | | | |
| 6. कैलारस | . . | | | | |
| **जिला श्योपुर :** | मिलीमीटर | 2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है. | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. . . |
| 1. श्योपुर | . . | | 4. (1) गेहूँ, जौ, चना, राई-सरसों, तुअर समान. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. कराहल | . . | | (2) उपरोक्त फसलें समान. | | |
| 3. विजयपुर | . . | | | | |
| ***जिला भिण्ड :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. . . | 7. . . |
| 1. अटेर | . . | | 4. (1) . . | 6. . . | 8. . . |
| 2. भिण्ड | . . | | (2) . . | | |
| 3. गोहद | . . | | | | |
| 4. मेहगांव | . . | | | | |
| 5. लहार | . . | | | | |
| 6. मिहोना | . . | | | | |
| 7. रौन | . . | | | | |
| **जिला ग्वालियर :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. कोई घटना नहीं. | 5. अपर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. ग्वालियर | 7.4 | | 4. (1) गन्ना, मूँग-मोठ, तुअर, मूँगफली, तिली अधिक. उड़द कम. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. डबरा | 8.0 | | (2) उपरोक्त फसलें समान. | | |
| 3. भितरवार | 3.5 | | | | |
| 4. घाटीगांव | 5.0 | | | | |
| **जिला दतिया :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. सेवढ़ा | . . | | 4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, राई-सरसों, मटर, जौ. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. दतिया | . . | | (2) . . | | |
| 3. भाण्डेर | . . | | | | |
| **जिला शिवपुरी :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. शिवपुरी | . . | | 4. (1) गन्ना, गेहूँ, चना अधिक. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. पिछोर | . . | | (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई. | | |
| 3. खनियाधाना | . . | | | | |
| 4. नरवर | . . | | | | |
| 5. करैरा | 14.0 | | | | |
| 6. कोलारस | 7.0 | | | | |
| 7. पोहरी | . . | | | | |
| 8. बदरवास | . . | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| **जिला अशोकनगर:** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. . . |
| 1. मुँगावली | . . | | 4. (1) सोयाबीन, गेहूँ अधिक. उड़द, | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. ईसागढ़ | . . | | मक्का, गन्ना, चना कम. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. अशोकनगर | . . | | (2) . . | | |
| 4. चन्देरी | . . | | | | |
| **जिला गुना :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. गुना | 1.8 | | 4. (1) गेहूँ, चना समान. | 6. संतोषप्रद, | 8. . . |
| 2. राघौगढ़ | 2.0 | | (2) उपरोक्त फसलें समान. | . . | |
| 3. बमोरी | . . | | | | |
| 4. आरोन | . . | | | | |
| 5. चाचौड़ा | . . | | | | |
| 6. कुम्भराज | . . | | | | |
| **जिला टीकमगढ़:** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. कोई घटना नहीं. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. निवाड़ी | 12.0 | | 4. (1) तुअर, गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. पृथ्वीपुर | 7.0 | | राई-सरसों, अलसी समान. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. जतारा | 12.0 | | (2) उपरोक्त फसलें समान. | | |
| 4. टीकमगढ़ | 6.0 | | | | |
| 5. बल्देवगढ़ | . . | | | | |
| 6. पलेरा | 5.0 | | | | |
| 7. ओरछा | 12.0 | | | | |
| **जिला छतरपुर :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. कोई घटना नहीं. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. लौण्डी | . . | | 4. (1) गेहूँ, चना, जौ, अरहर अधिक. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. गौरीहार | . . | | (2) उपरोक्त फसलें समान. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. नौगांव | . . | | | | |
| 4. छतरपुर | . . | | | | |
| 5. राजनगर | . . | | | | |
| 6. बिजावर | . . | | | | |
| ***जिला पन्ना :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. . . | 7. . . |
| 1. अजयगढ़ | . . | | 4. (1) . . | 6. . . | 8. . . |
| 2. पन्ना | . . | | (2) . . | | |
| 3. गुन्नौर | . . | | | | |
| 4. पवई | . . | | | | |
| 5. शाहनगर | . . | | | | |
| **जिला सागर :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. बीना | . . | | 4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. खुरई | . . | | तेवड़ा, राई-सरसों, अलसी, आलू, | चारा पर्याप्त. | |
| 3. बण्डा | . . | | प्याज समान. | | |
| 4. सागर | . . | | (2) उपरोक्त फसलें समान. | | |
| 5. रेहली | . . | | | | |
| 6. देवरी | . . | | | | |
| 7. गढ़ाकोटा | . . | | | | |
| 8. राहतगढ़ | . . | | | | |
| 9. केसली | . . | | | | |
| 10. मालथोन | . . | | | | |
| 11. शाहगढ़ | . . | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| **जिला दमोह :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. कोई घटना नहीं. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. हटा | . . | | 4. (1) लाख, तिवड़ा, तुअर, गेहूँ, चना, मटर, | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. बटियागढ़ | . . | | मसूर, राई-सरसों, अलसी समान. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. दमोह | . . | | (2) उपरोक्त फसलें समान. | | |
| 4. पथरिया | . . | | | | |
| 5. जवेरा | . . | | | | |
| 6. तेन्दूखेड़ा | . . | | | | |
| 7. पटेरा | . . | | | | |
| **जिला सतना :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. कोई घटना नहीं. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. रघुराजनगर | . . | | 4. (1) गेहूँ अधिक. तुअर, अलसी कम. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. मझगवां | . . | | चना, मसूर, सरसों समान. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. रामपुर-बघेलान | . . | | (2) . . | | |
| 4. नागौद | . . | | | | |
| 5. उचेहरा | . . | | | | |
| 6. अमरपाटन | . . | | | | |
| 7. रामनगर | . . | | | | |
| 8. मैहर | . . | | | | |
| 9. बिरसिंहपुर | . . | | | | |
| **जिला रीवा :** | मिलीमीटर | 2. जुताई एवं बोनी का | 3. कोई घटना नहीं. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. त्यौंथर | 26.0 | कार्य चालू है. | 4. (1) गेहूँ अधिक. चना, मसूर, अलसी | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. सिरमौर | 14.0 | | कम. अरहर, जौ समान. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. मऊगंज | 14.0 | | (2) . . | | |
| 4. हनुमना | 23.0 | | | | |
| 5. हजूर | 26.0 | | | | |
| 6. गुढ़ | 16.0 | | | | |
| 7.रायपुरकर्चुलियान | 9.0 | | | | |
| **जिला शहडोल :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. कोई घटना नहीं. | 5. अपर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. सोहागपुर | . . | | 4. (1) गेहूँ, मसूर, मटर, चना, राई-सरसों, | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. ब्यौहारी | . . | | तिवड़ा समान. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. जैसिंहनगर | . . | | (2) उपरोक्त फसलें समान. | | |
| 4. जैतपुर | . . | | | | |
| **जिला अनूपपुर :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. कोई घटना नहीं. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. जैतहरी | 5.1 | | 4. (1) चना, मटर, गेहूँ अधिक. मसूर कम. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. अनूपपुर | 11.4 | | राई-सरसों, अलसी समान. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. कोतमा | 16.9 | | (2) . . | | |
| 4. पुष्पराजगढ़ | 14.4 | | | | |
| **जिला उमरिया :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. अपर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. बांधवगढ़ | 6.2 | | 4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, अलसी, | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. पाली | 22.0 | | राई-सरसों, तुअर अधिक. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. मानपुर | 6.0 | | (2) . . | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| **जिला सीधी :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. . . | 7. . . |
| 1. गोपदवनास | 5.6 | | 4. (1) अलसी, चना, मटर, मसूर, गेहूँ, जौ समान. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. सिंहावल | 19.0 | | (2) उपरोक्त फसलें समान. | | |
| 3. मझौली | 25.0 | | | | |
| 4. कुसमी | 5.0 | | | | |
| 5. चुरहट | 1.5 | | | | |
| 6. रामपुरनैकिन | 8.8 | | | | |
| **जिला सिंगरौली :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. कोई घटना नहीं. | 5. पर्याप्त. | 7. . . |
| 1. चितरंगी | . . | | 4. (1) तुअर, गेहूँ अधिक. जौ कम. राई-सरसों, अलसी, मसूर, चना, आलू समान. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. देवसर | . . | | (2) . . | | |
| 3. सिंगरौली | . . | | | | |
| **जिला मन्दसौर :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. सुवासरा-टप्पा | . . | | 4. (1) गेहूँ, चना अधिक. रायडा समान. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. भानपुरा | . . | | (2) उपरोक्त फसलें समान. | . . | |
| 3. मल्हारगढ़ | . . | | | | |
| 4. गरोठ | . . | | | | |
| 5. मन्दसौर | . . | | | | |
| 6. सीतामऊ | . . | | | | |
| **जिला नीमच :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. जावद | . . | | 4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों अधिक. मसूर, मटर कम. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. नीमच | . . | | (2) उपरोक्त फसलें समान. | | |
| 3. मनासा | . . | | | | |
| **जिला रतलाम :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. जावरा | . . | | 4. (1) . . | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. आलोट | . . | | (2) . . | | |
| 3. सैलाना | . . | | | | |
| 4. बाजना | . . | | | | |
| 5. पिपलौदा | . . | | | | |
| 6. रतलाम | . . | | | | |
| **जिला उज्जैन :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. खाचरौद | . . | | 4. (1) गेहूँ, चना अधिक. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. नीमच | . . | | (2) उपरोक्त फसलें समान. | चारा पर्याप्त. | |
| 2. महिदपुर | . . | | | | |
| 3. तराना | . . | | | | |
| 4. घटिया | . . | | | | |
| 5. उज्जैन | . . | | | | |
| 6. बड़नगर | . . | | | | |
| 7. नागदा | . . | | | | |
| **जिला शाजापुर :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. . . |
| 1. मो. बड़ोदिया | . . | | 4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों समान. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. शाजापुर | . . | | (2) उपरोक्त फसलें समान. | . . | |
| 3. शुजालपुर | . . | | | | |
| 4. कालापीपल | . . | | | | |
| 5. गुलाना | . . | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| ***जिला देवास :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. . . | 7. . . |
| 1. सोनकच्छ | . . | | 4. (1) . . | 6. . . | 8. . . |
| 2. टोंकखुर्द | . . | | (2) . . | | |
| 3. देवास | . . | | | | |
| 4. बागली | . . | | | | |
| 5. कन्नौद | . . | | | | |
| 6. खातेगांव | . . | | | | |
| **जिला झाबुआ :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. कोई घटना नहीं. | 5. पर्याप्त. | 7. . . |
| 1. थांदला | . . | | 4. (1) गेहूँ, चना, कपास अधिक. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. मेघनगर | . . | | (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. पेटलावद | . . | | | | |
| 4. झाबुआ | . . | | | | |
| 5. राणापुर | . . | | | | |
| **जिला अलीराजपुर :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. कोई घटना नहीं. | 5. पर्याप्त. | 7. . . |
| 1. जोबट | . . | | 4. (1) गेहूँ अधिक. चना कम. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. अलीराजपुर | . . | | कपास समान. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. भामरा | . . | | (2) . . | | |
| 4. कट्ठीवाड़ा | . . | | | | |
| 5. सोण्डवा | . . | | | | |
| **जिला धार :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. कोई घटना नहीं. | 5. पर्याप्त. | 7. . . |
| 1. बदनावर | . . | | 4. (1) गेहूँ, चना, गन्ना अधिक. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. सरदारपुर | . . | | (2) उपरोक्त फसलें समान. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. धार | . . | | | | |
| 4. कुक्षी | . . | | | | |
| 5. मनावर | . . | | | | |
| 6. धरमपुरी | . . | | | | |
| 7. गंधवानी | . . | | | | |
| 8. डही | . . | | | | |
| **जिला इन्दौर :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. देपालपुर | . . | | 4. (1) . . | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. सांवेर | . . | | (2) . . | चारा पर्याप्त. | |
| 3. इन्दौर | . . | | | | |
| 4. महू (डॉ. अम्बेडकरनगर) | . . | | | | |
| **जिला प. निमाड़ :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. बड़वाह | . . | | 4. (1) ज्वार, मक्का, धान, बाजरा, कपास, | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. सनावद | . . | | मूँगफली, तुवर, गेहूँ, चना, अलसी, | चारा पर्याप्त. | |
| 3. महेश्वर | . . | | राई-सरसों समान. | | |
| 4. सेगांव | . . | | (2) उपरोक्त फसलें समान. | | |
| 5. करही | . . | | | | |
| 6. खरगौन | . . | | | | |
| 7. गोगावां | . . | | | | |
| 8. कसराबद | . . | | | | |
| 9. मुल्ठान | . . | | | | |
| 10. भगवानपुरा | . . | | | | |
| 11. भीकनगांव | . . | | | | |
| 12. झिरन्या | . . | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| ***जिला बड़वानी :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. . . | 7. . . |
| 1. बड़वानी | . . | | 4. (1) . . | 6. . . | 8. . . |
| 2. ठीकरी | . . | | (2) . . | | |
| 3. राजपुर | . . | | | | |
| 4. सेंधवा | . . | | | | |
| 5. पानसेमल | . . | | | | |
| 6. पाटी | . . | | | | |
| 7. निवाली | . . | | | | |
| ***जिला पूर्व-निमाड़ :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. . . | 7. . . |
| 1. खण्डवा | . . | | 4. (1) . . | 6. . . | 8. . . |
| 2. पंधाना | . . | | (2) . . | | |
| 3. हरसूद | . . | | | | |
| **जिला बुरहानपुर :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. बुरहानपुर | . . | | 4. (1) गेहूँ, चना समान. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. खकनार | . . | | (2) उपरोक्त फसलें समान. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. नेपानगर | . . | | | | |
| ***जिला राजगढ़ :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. . . | 7. . . |
| 1. जीरापुर | . . | | 4. (1) . . | 6. . . | 8. . . |
| 2. खिलचीपुर | . . | | (2) . . | | |
| 3. राजगढ़ | . . | | | | |
| 4. ब्यावरा | . . | | | | |
| 5. सारंगपुर | . . | | | | |
| 6. नरसिंहगढ़ | . . | | | | |
| **जिला विदिशा :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. लटेरी | . . | | 4. (1) अलसी, राई-सरसों, लाख. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. सिरोंज | . . | | (2) . . | चारा पर्याप्त. | |
| 3. कुरवाई | 6.0 | | | | |
| 4. बासौदा | 4.8 | | | | |
| 5. नटेरन | 4.0 | | | | |
| 6. विदिशा | 3.0 | | | | |
| 7. ग्यारसपुर | 2.0 | | | | |
| **जिला भोपाल :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. बैरसिया | . . | | 4. (1) गेहूँ, मसूर, चना, गन्ना समान. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. हुजूर | . . | | (2) उपरोक्त फसलें समान. | चारा पर्याप्त. | |
| **जिला सीहोर :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. . . |
| 1. सीहोर | . . | | 4. (1) . . | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. आष्टा | . . | | (2) . . | . . | |
| 3. इछावर | . . | | | | |
| 4. नसरुल्लागंज | . . | | | | |
| 5. बुधनी | . . | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| **जिला रायसेन :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. . . | 7. पर्याप्त. |
| 1. रायसेन | . . | | 4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, तिवड़ा, सरसों, अलसी, गन्ना सुधरी. | 6. संतोषप्रद, . . | 8. पर्याप्त. |
| 2. गैरतगंज | 6.6 | | (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं. | | |
| 3. बेगमगंज | 4.0 | | | | |
| 4. गोहरगंज | . . | | | | |
| 5. बरेली | . . | | | | |
| 6. सिलवानी | 11.4 | | | | |
| 7. बाड़ी | . . | | | | |
| 8. उदयपुरा | . . | | | | |
| **जिला बैतूल :** | मिलीमीटर | 2. गन्ने की कटाई का कार्य चालू है. | 3. कोई घटना नहीं. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. भैसदेही | . . | | 4. (1) गेहूँ, मसूर, चना अधिक. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. घोडाडोंगरी | . . | | (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. शाहपुर | . . | | | | |
| 4. चिचोली | . . | | | | |
| 5. बैतूल | | | | | |
| 6. मुलताई | . . | | | | |
| 7. आठनेर | . . | | | | |
| 8. आमला | . . | | | | |
| **जिला होशंगाबाद :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. कोई घटना नहीं. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. सिवनी-मालवा | . . | | 4. (1) गेहूँ, चना, मटर,मसूर मूंगमोठ, तुअर अधिक. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. होशंगाबाद | . . | | (2) उपरोक्त फसलें समान. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. बाबई | . . | | | | |
| 4. इटारसी | . . | | | | |
| 5. सोहागपुर | . . | | | | |
| 6. पिपरिया | . . | | | | |
| 7. वनखेड़ी | . . | | | | |
| 8. पचमढ़ी | . . | | | | |
| **जिला हरदा :** | मिलीमीटर | 2. चने की कटाई का कार्य चालू है. | 3. कोई घटना नहीं. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. हरदा | . . | | 4. (1) गेहूँ समान. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. खिड़किया | . . | | (2) उपरोक्त फसलें समान. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. टिमरनी | . . | | | | |
| **जिला जबलपुर :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. सीहोरा | 9.8 | | 4. (1) गेहूँ, चना, अलसी, राई-सरसों समान. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. पाटन | 7.2 | | (2) उपरोक्त फसलें समान. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. जबलपुर | 8.6 | | | | |
| 4. मझौली | 2.0 | | | | |
| 5. कुण्डम | 9.0 | | | | |
| **जिला कटनी :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. कोई घटना नहीं. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. कटनी | . . | | 4. (1) चना, अलसी, मसूर, गेहूँ, राई-सरसों, मटर, जौ समान. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. रीठी | . . | | (2) उपरोक्त फसलें समान. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. विजयराघवगढ़ | . . | | | | |
| 4. बहोरीबंद | . . | | | | |
| 5. ढीमरखेड़ा | . . | | | | |
| 6. बरही | . . | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| **जिला नरसिंहपुर :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. गाडरवारा | . . | | 4. (1) धान, ज्वार, मक्का, तुअर, उड़द, मूँग, सोयाबीन, गेहूँ, मसूर, चना, मटर. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. करेली | . . | | (2) . . | | |
| 3. नरसिंहपुर | . . | | | | |
| 4. गोटेगांव | . . | | | | |
| 5. तेन्दूखेड़ा | . . | | | | |
| **जिला मण्डला :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. निवास | . . | | 4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, मटर, मसूर, अलसी सुधरी हुई. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. बिछिया | 4.3 | | (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं. | | |
| 3. नैनपुर | . . | | | | |
| 4. मण्डला | 3.8 | | | | |
| 5. घुघरी | . . | | | | |
| 6. नारायणगंज | 9.1 | | | | |
| **जिला डिण्डोरी :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. . . | 7. पर्याप्त. |
| 1. डिण्डोरी | . . | | 4. (1) तुअर, राई-सरसों, गेहूँ, चना, मसूर, अलसी, मटर समान. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. शाहपुरा | . . | | (2) उपरोक्त फसलें समान. | | |
| **जिला छिन्दवाड़ा :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. कोई घटना नहीं. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. छिन्दवाड़ा | . . | | 4. (1) गेहूँ चना, मसूर, मटर, समान. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. जुन्नारदेव | . . | | (2) उपरोक्त फसलें समान. | | |
| 3. परासिया | . . | | | | |
| 4. जामई (तामिया) | . . | | | | |
| 5. सोंसर | . . | | | | |
| 6. पांढुर्णा | . . | | | | |
| 7. अमरवाड़ा | . . | | | | |
| 8. चौरई | . . | | | | |
| 9. बिछुआ | . . | | | | |
| 10. हर्रई | . . | | | | |
| 11. मोहखेड़ा | . . | | | | |
| **जिला सिवनी :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. सिवनी | . . | | 4. (1) धान, मक्का, तुअर, रामतिल, गन्ना, गेहूँ, चना, मटर, राई-सरसों अधिक. बाजरा, कोदों-कुटकी, उड़द, सोयाबीन, तिल, सन, लाख, तिवड़ा कम. मूँग, मूँगफली, मसूर, अलसी समान. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. केवलारी | . . | | (2) . . | | |
| 3. लखनादौन | . . | | | | |
| 4. बरघाट | . . | | | | |
| 5. कुरई | . . | | | | |
| 6. घंसौर | . . | | | | |
| 7. घनोरा | . . | | | | |
| 8. छपारा | . . | | | | |
| **जिला बालाघाट :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. बालाघाट | . . | | 4. (1) . . | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. लाँजी | . . | | (2) . . | | |
| 3. बैहर | . . | | | | |
| 4. वारासिवनी | . . | | | | |
| 5. कटंगी | . . | | | | |
| 6. किरनापुर | . . | | | | |

**टीप.**— *जिला मुरैना, भिण्ड, पन्ना, देवास, बड़वानी, पूर्व-निमाड़, राजगढ़ से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

**राजीव रंजन,**
आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(436)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2014.